

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 254]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 14 जून 2021-ज्येष्ठ 24, शक 1943

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2021

क्रमांक-F1-6-2021-साठ.- विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 (2001 का 52) के तहत ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता 2018 को केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, जिसे ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा 15(a) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य नामित अभिकरण (मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि.) द्वारा "ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम 2018" को प्रदेश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुसार संशोधन पश्चात् माननीय मंत्री, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत "मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम" को मध्यप्रदेश में लागू करने हेतु सर्व साधारण की जानकारी के लिए उक्त का प्रकाशन "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय दुबे, प्रमुख सचिव.

In exercise of the powers conferred by clause(p) of Section-14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), empowers the Central Government to prescribe Energy Conservation Building Code for efficient use of energy and its conservation in the building or building complexes, by notification, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency

AND WHEREAS, clause(a) of Section-15 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), empowers the State Government to amend Energy Conservation Building Code, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, to suit the regional and local climatic conditions and may, by rules made by it, specify and notify the Energy Conservation Building Code applicable to the State of Madhya Pradesh

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (a) of Section-15 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Government of Madhya Pradesh hereby made the following rules to notify the Energy Conservation Building Code applicable to the State of Madhya Pradesh, namely :-

1 SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

- (1) These rules shall be named as 'Madhya Pradesh–Energy Conservation Building Code Rules' (MP-ECBC Rules);
- (2) These rules shall come into force from November, 1st 2021 onwards as of its publication in the Madhya Pradesh Gazette, thus, all new registration for building plan approval for erection/re-erection of the forthcoming buildings will be liable to design, construct and operate as per these rules and shall meet all the requirement of these rules, as per applicability

2 DEFINITIONS

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
 - 1) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001) and amendments thereof;
 - 2) "Authority Having Jurisdiction" is Municipal Authority or Committee or Council or Nagar/Gram-Panchayat or Development and Planning Authority, which is entrusted with the responsibility of regulating the building approval/erection/re-erection in the areas falling in its jurisdiction;
 - 3) "Best Practices" means those measures that- allow for optimization of efficiencies in the identified components and systems to enhance the energy efficiency of the building; or
 - (a) reduce the cost of construction having regard to the safety, stability of the building structure, health and environmental provisions of Central laws or State laws; and
 - (b) includes energy conservation measures approved by the MP-ECBC Implementation Committee;
 - 4) "Building or Building Complex" means a structure wholly or partially enclosed within exterior walls, or within exterior and party walls, and a roof, affording shelter to persons, animals, or property. Building complex means a building or group of buildings constructed in a contiguous area for business, commercial, institutional, healthcare, hospitality purposes or assembly buildings under the single ownership of individuals or group of individuals or under the name of a co-operative group society or on lease and sold as shops or office space or space for other commercial purposes, having a connected load or contract demand as defined in Chapter-2 (Scope) of MP-ECBC;
 - 5) "Built-up area" shall means the total built-up area of all floors excluding the area under lift wells, service ducts, machine rooms for lift, water tanks, escalators, lift lobby, fire escape, ramps, refuse shuts, service ducts, mezzanine floor, balcony up-to a width of 1.2 meter, parking areas, parking floors, mechanized parking areas, porch service floors, podium, private garage (not exceeding 25m²), servant quarter (not exceeding 25m²), basement (subject to provision of section-76 of Madhya Pradesh Bhoomi Vikas Niyam 2012 or its subsequent version(s)), corridors, arcades, lobbies, mumptee, staircases, entrance lobbies or foyer, atrium which is not for commercial activity, pump room, and two watch men hut (each not exceeding 6m²); but shall include covered projection exceeding the limit as described under section-58 of Madhya Pradesh Bhoomi Vikas Niyam 2012 or its subsequent version(s); Provided that in commercial use premises the area of foyer or entrance lobby located on the ground floor which exceeds the permissible ground coverage as per Bhoomi Vikas Niyam 2012 or its subsequent version(s) shall be counted in Built-up Area; If built from below the ground or reference level is used as habitat accommodation because of the existing topography such area may be permitted as habitable area and shall be counted in Built-up Area
 - 6) "BEE/Bureau" means Bureau of Energy Efficiency, India;
 - 7) "Building Bye-laws" means the Laws framed by a State Government or any authority under its control to regulate the building activities in its areas falling in the jurisdiction of all Municipal authorities or Committees or Councils or Nagar Panchayats or all areas covered under the Development or Planning authorities, under various development plans notified by a State Government or enforced by such authority in its jurisdiction in which MP-ECBC compliant building shall be located, and includes any regulation or rule framed by the State Government or any other authority having jurisdiction established by the State Government;
 - 8) "Certified Energy Auditor (Building)" means a person who fulfils the eligibility criteria specified in the Energy Conservation (Minimum qualification for Energy Auditors and Energy Managers) Rules, 2006 issued under Energy Conservation Act, 2001 and has qualified National Examination for Energy Conservation Building Code Compliance;
 - 9) "Commercial Building" is a building or building complex or a part of building which are used or intended to be used for commercial purposes and classified as per the time of the day the building is operational and sub classified, as per the functional requirements of its design, construction, and use as per following details:
 - (a) Group I – 24 hours building covering Type A Hospitality, Type B Health Care and Type C Assembly, etc.,

(b) **Group II – Regular building covering Type D Business, Type E Educational and Type F Shopping Complexes;**

- 10) "Compliance Document" are the forms specified in ECBC Rules and Regulations to record and check compliance with these rules. These include but are not limited to EPI Ratio Compliance Report, Building Envelope Compliance Form, Mechanical Systems Compliance Form and Permit Checklist, Lighting System Compliance Form and Permit Checklist and certificates from Certified Energy Auditor for existing or proposed buildings;
- 11) "Connected Load" is an the sum of the rated wattage of all equipment, appliances and devices to be installed in the building or part of building or building complexes, in terms of kiloWatt (kW) that will be allocated to all applicants for electric power consumption in respect of the proposed building or building complexes on their completion; In these rules the values of connected load shall be referred as per Chapter-2 (Scope) of MP-ECBC;
- 12) "Construction Documents" drawings or documents, containing information pertaining to building construction processes and approvals, building materials and equipment specification, architectural details etc. required by the authority having jurisdiction;
- 13) "Contract Demand" is the maximum demand in kiloWatt (kW) or kilo Volt Ampere (kVA) (within a consumer's sanctioned load) agreed to be supplied by the electricity provider or utility in the agreement executed between the users and the utility or electricity provider; In these rules the values of contract demand shall be referred as per Chapter-2 (Scope) of MP-ECBC;
- 14) "Department" means New & Renewable Energy Department, Government of Madhya Pradesh
- 15) "Distribution Licensee" means an authorized licensee to operate and maintain a distribution system for supplying electricity to the consumers in his area of supply;
- 16) "Energy Conservation Building Code" means the code framed by Bureau of Energy Efficiency under the Energy Conservation Act 2001
- 17) "Empanelled Energy Auditors (Building)" means a firm consisting of the certified Energy Auditor certified under Bureau of Energy Efficiency (certification Procedure for Energy Auditor and Energy Managers) Regulations, 2010 and Certified Energy Auditor (Buildings) and empanelled with the Bureau or State Designated Agency;
- 18) "Energy Performance Index" or "EPI" of a building means its annual energy consumption in kiloWatt-hours per square meter of the area of the building which shall be calculated in the standard or proposed building as per the formula below,

$$\text{EPI} = \frac{\text{annual energy consumption in kWh (including that procured through open access or produced on-site, but excluding on-site renewable energy produced on-site) / built-up area (excluding storage area and the parking in the basement)}}{\text{m}^2}$$

where, annual energy consumption is calculated for a period of full twelve-months, immediately after the date of occupancy, and every twelve-months thereafter;
- 19) "Energy Performance Index Ratio (EPI-Ratio)" of a building means the ratio of the EPI of the Proposed Building to the EPI of the Standard Building;
- 20) "Establishment" means a business or other organization, or the places where an organization operates and includes Government establishment and private establishment;
- 21) "Form" means the forms appended to these rules;
- 22) "Madhya Pradesh - Energy Conservation Building Codes (MP-ECBC)" means updated subsequent version of code as framed by the department as per clause (a) of the Energy Conservation Act 2001;
- 23) "Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Ltd. (MPUVNL)", designated as 'State Designated Agency' as per clause (d) of section-15 of EC-Act 2001 that has the responsibility to coordinate, regulate and enforce provisions of this Act within the state;
- 24) "Owner" is a person, group of persons, company, trust, institute, Registered Body, state or central Government and its attached or sub-ordinate departments, undertakings and like agencies or organization in whose name the property stands registered in the revenue records for the construction of a building or building complex;
- 25) "Proposed Building" is consistent with the actual design of the building and complies with all the mandatory requirements of MP-ECBC;
- 26) "Proposed Design" is a computer model of the proposed building, consistent with its actual design, which complies with all the mandatory requirements of MP-ECBC;
- 27) "Representative" means a nominee of a department having an authorization on behalf of the organization who is eligible to take necessary decisions;

- 28) "Standard Building" is a building that minimally complies with all the mandatory and prescriptive requirements of Madhya Pradesh Energy Conservation Building Code and has same floor area, gross wall area, and gross roof area of the Proposed Building;
- 29) "Standard Design" is a computer model of a hypothetical building, based on actual building design that fulfils all the mandatory requirements and minimally complies with the prescriptive requirements of MP-ECBC, as described in the Whole Building Performance method;
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, or in the MP-ECBC or National Building Code or its subsequent amendment(s) or its subsequent updated version(s) shall have the meanings respectively assigned to them in the Act or the said MP-ECBC or National Building Code.

3 APPLICATION

These rules will be applicable to every New-building or -building complex or thereof, which falls under the section-2 (scope) of Madhya Pradesh Energy Conservation building Code (MP-ECBC)

While, it will also be applicable on existing- buildings or building complexes:

- (a) If there is addition or alteration in the building, after which the revision in their connected load or contract demand (remains same, decreases or increases then existing load or demand), if falls under limits as prescribed in section-2 of MP-ECBC; than Owner will be liable to fulfill compliance as mentioned under clause (3) of section-3 of MP-ECBC;
- Or
- (b) If there is no addition or alteration in the building, but still there is revision in their connected load or contract demand, if falls under limits as prescribed in section-2 of MP-ECBC; than Owner will be liable to receive an approval through declaration with the help of Empanelled Energy Auditors (Building) from State Designated Agency under surveillance of Madhya Pradesh Energy Conservation Building Code Implementation Committee

4 COMPLIANCE AND APPROACH

The compliance and approach needs to be adopted as briefed in MP-ECBC, or its subsequent amendment(s) or its subsequently updated version(s).

5 INSTITUTIONAL SETUP

For smooth functioning, implementation and enforcement of MP-ECBC, the following committees shall be constituted:

- (1) **MP-ECBC IMPLEMENTATION COMMITTEE:** The State shall constitute 'MP- ECBC Implementation Committee', headed by Chief Secretary of Madhya Pradesh or his nominee, and comprise of the following:-

- Chief Secretary, GoMP or his nominee – Chairman
- Principal Secretary/ Secretary, New and Renewable Energy Department - Member;
- Principal Secretary, Urban Development and Housing Department – Member;
- Principal Secretary, Public Works Department – Member;
- Principal Secretary, Panchayat and Rural Development Department – Member;
- Principal Secretary, Housing and Environment Department – Member;
- Director, Town and Country Planning Planner - Member;
- Project Director, Project Implementation Unit / Engineer in Chief Public Works Department - Member;
- Chief Architect, Public Works Department - Member;
- One representative from each DISCOM - Members;
- Representative of BEE, Ministry of Power – Member;
- Managing Director, MPUVN – Member Secretary;
- Three technical experts to be nominated by the Department – Member;

The MP-ECBC Implementation Committee would have the following responsibilities:

- a) promote energy efficiency standards through optimization of parameters in the various components and systems of the building in line with the provisions of these rules to enhance building performance and provide every support to it to make it an effective instrument of promoting energy conservation and energy efficiency in the commercial buildings or establishment;
- b) forward its recommendations to the Bureau to assist the National Energy Conservation Building Code Implementation Committee to develop and revise energy consumption standards for buildings, in terms of energy performance index, zone-wise – hot and dry and composite zone, classification-wise;

- o) create awareness about MP-ECBC and procedure for erection of MP-ECBC compliant building;
- d) promote construction of energy efficient buildings ensuring quality and consistency in their construction having regard to the climatic conditions and needs of the building projects;
- e) promote capacity building of building professionals, developers and contractors to promote energy efficient designs of buildings in close co-ordination with authority having jurisdiction;
- f) to develop and regulate fee-structure/ financial-arrangements for department/ organization/ developers/ others having their role and responsibilities for implementation of MP-ECBC and its Rules, whenever required.
- g) undertake performance review of annual work of all Empanelled Energy Auditors (Building), executing projects in the States to check their credentials;
- h) undertake necessary revisions on role and responsibilities of the MP- ECBC Technical Grievances Redressal Committee as per requirement, or on the basis of suggestions from authority having jurisdiction, DISCOM, SDA;
- i) Once in a five year, ECBC for Madhya Pradesh should be reviewed,
or
as and when necessary, to revise ECBC specified in these rules in consultation with the Bureau.
- j) review summary of violations of building compliance and list of responsible EEA-(Building), which shall be provided by Authority Having Jurisdiction/State Designated Agency, review yearly reports and furnish the same to the Bureau indicating inter alia the progress made in compliance of these rules in the State and the steps taken by the Authority having Jurisdiction/State Designated Agency to improve the compliance of MP-ECBC in the State;

(2) **MP-ECBC TECHNICAL GRIEVANCES REDRESSAL COMMITTEE:**

The MP-ECBC Implementation Committee shall establish MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee, headed by an officer of Urban Development Department of the State, with the following members:-

- a representative from Urban Development & Housing Department (Chairman)
- a representative of the State Designated Agency (member)
- a representative of the concerned Authority Having Jurisdiction (member)
- a technical expert (member)

The role of the MP- ECBC Technical Grievances Redressal Committee is to:

- a) hear all grievances filed in this respect
- b) hear grievances filed by the owner of MP-ECBC compliant building within the specified time period given by the authority having jurisdiction relating to the building permit, completion certificate, occupancy certificate of building, including determination of the EPI-Ratio at the completion stage and interpretation of these rules or any other grievance arising out of the implementation of MP-ECBC and these rules;
- c) make recommendations to the authority having jurisdiction to reconsider such issue, or for implementation by the authority having jurisdiction, as the case may be.

6 PROCEDURE FOR ERECTION/RE-ERECTION OF MP-ECBC COMPLIANT BUILDING

Erection/re-erection of applicable building/ building-complex as per compliance procedure of MP-ECBC comprises of three phases- design, construction, and post-construction, Owner needs to capture the following major milestones during execution of these phases-

- to hire/appoint EEA-(Building)
- to achieve Unique Building Identification Code (UBID) from authority having jurisdiction,
- to achieve EPI-ratio on completion of building erection/ re-erection

Additionally, owner needs to understand that the compliance with MP-ECBC requires an integrated design process. The owner shall appoint EEA-(Building) along with the design team with experts in various disciplines which are appointed/ hired, and shall be equipped with thorough knowledge on MP-ECBC or on energy efficient building designing. Further details on process to be followed during erection/ re-erection for compliance with MP-ECBC for building/building complex as per three phases have been briefed below:

DESIGN PHASE

- (1) Every owner who intends to erect/ re-erect a building or building-complex or make alterations or additions in any building or building-complex covered under these rules shall submit to concerned authority having jurisdiction, an application FORM-I annexed with these rules accompanied by:
- a) construction documents duly signed by the owner together with an undertaking in FORM-I;
 - b) construction documents shall ensure-
 - (i) compliance with the applicable building bye-laws in force;
 - (ii) building design incorporates energy conservation measures and best national and international practices having regard to the climatic conditions of the site and specific needs of the building so as to optimize the energy performance index ratio of the building;
 - (iii) that all the data, building features, identified energy conservation measures under various building components and systems are shown in details and in the manner specified in the applicable bye-laws;
 - (iv) the drawing of plan, colour of plan, dimension of plan, scale of plan as per requirements of the applicable bye-laws in force;
 - e) compliance documents covering the construction of components and systems as per MP-ECBC, duly certified by EEA-(Building), which includes the following:
 - (i) energy performance index ratio report in respect of the proposed building at the design stage;
 - (ii) certificate in FORM-II by EEA-(Building) certifying the compliance documents as annexed with these rules;
 - (iii) energy conservation measure identified through scrutiny and verification; and
 - (iv) an application with heading super-scribed "Application for permission to erect/re-erect an MP-ECBC Compliant Building", duly signed by the owner seeking building permission from the concerned authority having jurisdiction before starting construction work in respect of the proposed building.

Note: Submission of relevant documents as mentioned under 'design stage' of these rules, to authority having jurisdiction may be required in electronic form or hard copy of the documents

- (2) EEA-(Building), at the design stage, shall follow the following procedure of inspection, namely:-
- a) scrutinize the construction documents with respect to area of floor, window, wall, roof and project's built-up area;
 - b) scrutinize the MP-ECBC compliant documents and the checklist as specified in the Appendix-D of the MP-ECBC and identify, verify and certify:
 - (i) the energy conservation measures that are applicable to the proposed design of buildings;
 - (ii) insulation quantities in walls and roof, and the construction assemblies, solar heat gain coefficient, visible light transmittance and thermal transmittance (U-factor) for window assemblies;
 - (iii) heating, ventilation and air-conditioning component tables for air-handling equipment, refrigeration equipment, condensing equipment and air-flow summaries; along with their equipment efficiencies and controllers;
 - (iv) tables showing lighting equipment schedules, and lighting power density calculation in design documents, along with lighting controls;
 - (v) motor efficiencies and controls;
 - (vi) findings of the document review to match with the energy model inputs for the proposed building by using the simulation tool approved by the Bureau;
 - (vii) scrutinize projection on energy performance index ratio at design stage;
 - e) fill the checklist as specified in the Appendix-D of MP-ECBC and issue correction list in case the design documents of the proposed design of building provide inadequate information or do not meet the requirements of these rules and shall-
 - (i) communicate findings in FORM-II to the owner of the building under intimation to concerned authority having jurisdiction;
 - (ii) give specified time to the owner to implement findings as mentioned in FORM-II;
 - (iii) satisfy that the communication received from the owner within the specified time, meet the findings and rectify FORM-II as per the shortcomings;

- d) record his approval and complete the checklist conforming compliance with the MP-ECBC and these rules, and issue the certificate of approval in FORM-II to the owner, accompanied by construction documents duly signed by the owner, under intimation to the concerned authority having jurisdiction and state designated agency.
- (3) The authority having jurisdiction on receiving the application from owner as per Rule-6(1) for issue of permit for construction of proposed building shall-
- a) approve the design and sanction building plan only after receiving approved certificates in the form of FORM-I and FORM-II from the EEA-(Building);
- b) grant permit to erect or re-erect the building or add to or make alterations in the building to carry out the construction works subject to the following conditions in its sanction letter-
- (i) construction work shall be in accordance with the sanctioned plan and requirement under the MP-ECBC and these rules;
- (ii) compliance with these rules shall be achieved during construction-in-progress;
- (iii) building shall not be occupied before issuance of occupancy certificate to the owner;
- (iv) the authority having jurisdiction may, at any stage, revoke the permit on receipt of non-compliance report from the EEA-(Building) or on the notice of any misrepresentation of material facts in the application in respect of the provision of these rules or the MP-ECBC after giving a reasonable opportunity of being heard to the owner;
- e) Before sanctioning of building plans (issue of approval), all the submitted FORMS (duly signed by EEA-(Building)) as per these rules by Owner need to be shared with SDA; sharing of relevant documents to SDA may be processed via electronic medium or hard copy of documents;
- d) Before granting approval on design documents, authority having jurisdiction needs to generate Unique Building Identification Code (UBID), and provide a copy of UBID to Owner along with approved documents, and also circulate copy of UBID to SDA and relevant DISCOM, as per Annexure-D of MP-ECBC;
- e) In case of erection/re-erection/renovation of building leading to building falling in applicability criteria as per MP-ECBC, the same process is to be followed as defined in these Rules.

CONSTRUCTION PHASE

- (4) On receiving the permission for construction from authority having jurisdiction, the owner shall-
- a) give notice of his intention to start the construction work of the building in FORM-III;
- b) undertake construction of energy conservation measures incorporated in the construction documents as per Rule-6(1)(b);
- c) have flexibility in constructing the building components and systems covered in the construction as per these Rules, to most effective use of energy by deploying best practices in such components and systems to optimize the energy performance index ratio;
- d) take the approval of EEA-(Building) before undertaking such construction as per Rule-6(1)(b), if the components and systems proposed to be constructed are other than those incorporated in the construction and compliance document;
- e) if required, apply for permanent electrical connection (new/renew) to Distribution Licensee along with submitting a attested copy of UBID FORM; if Owner wants to have temporary connection, then Owner shall not need to submit UBID FORM to Distribution Licensee;
- (5) The authority having jurisdiction on receiving of notice as per Rule-6(1) for construction of proposed building from Owner shall-
- a) ensure that they have received a certificate in FORM-III and FORM-IV from the owner which are duly signed by EEA-(Building);
- b) If submitted FORM-IV states non-compliance with MP-ECBC, then shall share status immediately with MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee and SDA so as to understand/take necessary action during the construction stage
- c) ensure that all submitted FORMS of MP-ECBC during construction stage are shared with MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee and SDA within five working days; would be processed via electronic medium or hard copy of documents
- d) in case of non-compliance from EEA-(Building) via FORM-IV as mentioned in these Rules, AHJ needs to ensure that construction is stayed until necessary correction has been effectuated and a certificate of compliance (FORM-IV) has been issued by EEA-(Building)
- (6) Distribution Licensee, on receiving application form for permanent electrical connection (new/renew) from owner, shall review, verify parameters as discussed below:
- a) need to gather a attested copy of UBID FORM from owner, and verify it with the UBID FORM received from authority having jurisdiction as per Rule-6(3)(d)
- b) for providing temporary connection for any MP-ECBC compliant building application need not

require any sort of document, particularly as per these Rules; though if there is request from owner on conversion of temporary connection to permanent connection, then need to proceed as per Rule-6(3)(d).

- (7) The EEA-(Building), at construction stage, shall review and verify the parameters specified in Rule-6(2) and,-
- a) fill out the checklist specified in the Appendix-D of the MP-ECBC, provide comments if the proposed design of building does not meet the construction requirements and specify the shortcomings in compliance to the MP-ECBC, these rules and sanctioned plan, and shall-
 - (i) communicate its shortcomings and findings to the owner;
 - (ii) give specified time to the owner to implement its findings;
 - (iii) satisfy that the communication received thereafter from the owner meets the specified findings and fulfil shortcomings;
 - b) record his approval and complete the checklist as per compliance with the MP-ECBC and these rules, and issue a certificate of compliance as per FORM-IV to the owner under intimation to the authority having jurisdiction;
 - c) where it is determined at any phase that, construction is not proceeding in accordance with the sanctioned plan, or is in violation of the provision of the MP-ECBC and these rules, EEA-(Building) shall notify the owner, and request for additional information with respect to his findings or on the shortcomings identified by him as per FORM-IV;
 - d) in case the EEA-(Building) is satisfied with the additional information provided by the owner, he shall report the same in the certificate of compliance in FORM-IV and communicate the same to the owner under intimation to the authority having jurisdiction;
 - e) in case the EEA-(Building) is not satisfied with the additional information submitted by the owner, he shall report the same to the authority having jurisdiction to ensure that all further construction is stayed until correction is effectuated and a certificate of compliance has been issued by EEA-(Building)

POST-CONSTRUCTION PHASE

- (8) Every owner shall submit a notice of completion of the building to the authority having jurisdiction on the completion of work including the works related to energy conservation measures as specified in the sanctioned permit along with the certificate in FORM-V issued by the EEA-(Building) certifying the completion of the building accompanied by-
- a) the duly completed compliance FORM-IV together with checklist of various components covered under Rule-6(2) at the completion stage which shall include the following:
 - (i) review of heating, ventilation and air-conditioning component tables for air-handling equipment, refrigeration equipment, condensing equipment, air-flow summaries, tables showing lighting equipment specification, and tables showing motor specification;
 - (ii) inspection of lighting equipment like lamps, ballasts, to confirm fixture wattage and inspection shall include at least random check across, according to the type of usage in the building to determine lighting power density;
 - (iii) review the required lighting controls, such as manual switching off perimeter, day lighting circuits, automated occupancy based control, photo sensor controls, and automated timer based controls;
 - (iv) review of coefficient of performance values of installed heating, ventilation and air-conditioning equipment and its controls;
 - (v) review of efficiencies of installed motors and controls;
 - (vi) review of power factor and power distribution losses;
 - (vii) review the required check metering and monitoring system
 - b) a list of energy related building features in the proposed design, if any, which are different from the sanctioned or standard design;
 - c) all documents and invoices in support of the construction undertaken with respect to all energy conservation measures, including insulation, fenestration, heating, ventilation and air-conditioning, lighting and electrical systems, water heating systems of the building
- (9) If calculated EPI ratio at the completion stage is less than or equal to one as compared to the sanctioned plan of the building, it shall be deemed to have complied with the MP-ECBC and these rules
- (10) If there is deviation in the EPI-ratio, then, if it is more than one as compared to the standard building as of sanctioned plan of the building, EEA-(Building) shall record its findings in FORM-IV and communicate the same to owner and seek compliance of the same through incorporation of additional energy conservation measure. The EEA-(Building) shall render technical assistance to the owner to ensure that the proposed design of the building becomes compliant with these rules.
- (11) The owner shall neither occupy nor allow any other person to occupy the building or building complex or part of the building covered under these rules for any purpose until such part thereof has been granted occupancy certificated under the bye-laws of the authority having jurisdiction
- (12) The owner shall give notice of completion of the building and seek permission for occupancy

- (13) The authority having jurisdiction on receiving notice from the owner accompanied by approved certificate by EEA-(Building) as FORM-V, can issue the occupancy certificate incorporating inter alia the following conditions, namely-
- (i) that the energy performance of the building shall be monitored and verified by the State Energy Conservation Building Code Implementation Committee
 - (ii) that the owner through the EEA-(Building) shall submit to the State Designated Agency, an energy performance index report under intimation to Bureau for two consecutive years after the building has been fully operational as per Annexure-I of these rules, or whenever asked by State Designated Agency;
- (14) Till the building will be in operation, its energy performance index will be monitored by SDA, with the help of energy consumption details received from distribution licensee for the relevant UBID's provided by the authority having jurisdiction during the end of design stage; while in case of Multiple-Owners or of Multiple-Tenants, energy consumption monitoring will be tracked as per Rule-8(10), or as per Rule-11(4) and record it as per Annexure-III.
- (15) In case the energy performance index ratio of the building is more than one, the authority having jurisdiction may issue a provisional occupancy certificate, subject to the condition that the owner shall under take energy audit of the building to identify additional energy conservation measures to achieve the EPI-ratio of the building approved in the sanctioned plan or permit within a period of three years
- (16) If owner fails to achieve the EPI-ratio as per procedure specified in Chapter-3 (Compliance and Approach) as defined in MP-ECBC, from the date of occupancy of the building, the State Designated Agency shall place the matter before the MP-ECBC Implementation Committee which shall hear the owner and the EEA-(Building) and make recommendations in the matter accordingly, thus Owner will be liable to comply with such recommendations
- (17) SDA along with MP-ECBC Technical Grievance Redressal Committee, or individually shall conduct random energy audits of buildings with the help of EEA-(Building). Method for random check will be devised and shared publicly
- (18) If any mis-information, or malpractice is found by MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee, it shall report to MP-ECBC Implementation Committee.
- (19) The process shall be continued repeatedly till the EPI-ratio of the building comes to less than one or equal to one, and EEA-(building) shall fill and submit the compliance checklist documents, as specified in Appendix-D of the MP-ECBC, of various energy conservation measures at each stage, namely, design, construction and completion, to achieve conformity with the MP-ECBC and these rules

7 RIGHT OF APPEAL

- (1) The Owner/EEA-(Building) may approach the MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee for redressal of any grievances under the provision of these rules:
- (a) MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee shall hear grievances raised by owner/ EEA-(Building), in consultation with SDA and authority having jurisdiction and shall liable to take necessary action for rectification of grievances raised; a copy of the same shall be conveyed to MP-ECBC Implementation Committee
 - (b) The MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee in consultation with SDA shall hear appeal filed by the owner of a building, within 45 days against the cancellation of building permit or non-issue of completion or occupancy certificate of building for the following cases, namely,-
 - (i) interpretation of the provisions of these rules in relation to any dispute;
 - (ii) non-issue of completion or occupancy certificate due to non-compliance with the EPI-Ratio approved in the sanctioned plan;
 - (iii) any other matter covered under these rules for not achieving the EPI-Ratio at the completion stage;
 - (iv) issue(s) related to professional misconduct of the EEA-(Building);
- (2) Any person aggrieved by an order passed by the MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee or any other authority under the State Government, may prefer an appeal before MP-ECBC Implementation Committee within a period of forty-five days from the date on which a copy of the order made by the MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee is received by the person;
- (3) Order passed by the MP-ECBC Implementation Committee, will be considered as final.

8 ROLES AND RESPONSIBILITIES OF OWNER:

- (1) The owner of MP-ECBC compliant building shall carry out the work of the said building in accordance with the requirements of the MP-ECBC and these rules.
- (2) Every owner shall-

- 1) **Engage EEA-(Building) in development of building design, installation of energy conservation measures and equipment to meet with the requirements of these rules and ensure the following:-**
 - (a) finalize the compliance approach relevant for his building project based on the complexity of the building, budget and time constraints;
 - (b) finalize the energy conservation measures as per the MP-ECBC as amended from time to time, having regard to the location of the proposed building;
 - (c) to integrate the energy conservation measures in the building design in accordance with the provisions of these rules;
 - (d) that drawings, specifications and compliance forms are prepared and energy conservation measures are reflected in the building design documents and submitted to the authority having jurisdiction in compliance with the requirements of the rules accompanied by a certificate specifying the energy performance index ratio of the building by the Empanelled Energy Auditors (Building) that the documents are as per the requirement of these rules;
 - (e) notice is given within the validity of sanction to the authority having jurisdiction of his intention to start the construction work at the building site;
 - (f) commence the work within the period specified by the authority having jurisdiction from the date of such notice or seek extension of time for starting the construction work, wherever necessary;
 - (g) ensure that the designed energy conservation measures are deployed in the construction of the building and installation of its components and systems.
- 2) permit EEA-(Building) to enter the building or premises at any reasonable time for the purpose of inspection to ensure compliance of building works with rules and regulations under the Act;
- 3) give written notice to the authority having jurisdiction intimating the completion of the construction work along with a certificate from the Empanelled Energy Auditors (Building) to the effect that-
 - (a) the construction of the building has been done in accordance with the sanction of the building permit;
 - (b) all the energy conservation measures have been installed and inspected, and they meet the requirements of the MP-ECBC and these rules;
 - (c) the building design meet with the provisions of the MP-ECBC and these rules;
- 4) give written notice to the authority having jurisdiction as well as to the State Designated Agency in case of termination of the services of EEA-(Building) and appointment of other EEA-(Building) in its place;
- 5) obtain an occupancy permit from the authority having jurisdiction prior to any occupancy of the building or part thereof after completion of the building;
- 6) report the practical difficulties to the EEA-(Building), if any, in carrying out the provisions of these rules, who shall take necessary action in consultation with State Designated Agency and MP-ECBC Implementation Committee;
- 7) on the receipt of the notice, if any, from the authority having jurisdiction or MP-ECBC Implementation Committee, he shall discontinue such usage within reasonable time as specified in such notice and in no case he shall disregard the provisions of these rules;
- 8) where he proposes to alter the installation of any system or material or equipment on account of improving the energy efficiency of the building contrary to the system, material or equipment as indicated in the sanction plan he shall use or install such system or material or equipment after obtaining the necessary approval of the EEA-(Building);
- 9) If a building/building complex falls under applicability as per Rule-3, and is mixed-used type as per Chapter-2.5(g) of MP-ECBC; then energy consumption monitoring for the building shall be done as per Rule-11(3); while monthly energy consumption has to be monitored separately for each multiple tenant(s), for which Owner shall:
 - (a) provide sub-meters for each tenant(s) for monitoring energy consumption;
 - (b) monitor and record monthly energy consumption details via sub-meters;
 - (c) track and record monthly energy consumption of single/multiple tenant(s) as mentioned below-
 - (i) 'Multiple-Tenant Suffix Code' after UBID has to be added as UBID-M_n(k); where M_n = M₁, M₂, M₃, M₄,... are the no. of possible tenant in the building, and k = Meter no. which will be allotted to each tenant;
 - (ii) address the policy's sub-metering and energy monitoring clause as per these rules in lease agreement with each tenant(s);
 - (iii) record and track, energy consumption of each tenant, and share/submit energy consumption details to SDA or MP-ECBC Implementation Committee, whenever required as per format prescribed in Annexure-I (under multiple-tenant(s) in building). For further understanding, please refer below procedure:
 - (i) a building going to have multiple tenant(s) will receive his UBID (XXXX/ECBC) by authority having jurisdiction along with approvals of building plans;
 - (ii) when, multiple tenant(s) will seek sub-metered electrical connection, then owner will add suffix M_n(k) with UBID, which can be addressed as UBID-M_n/Meter no. for each tenant;
 - energy consumption can be monitored via computer application or measuring

- instrument (for regular monitoring) from start to end of the each month; Or
- if done manually, then has to capture photograph of each sub-meters while gathering the energy consumption details along with tenant signature (also needs to ensure that noted energy consumption of each meter has to match with photograph);

Provided that it does not violate the spirit and intent of the provisions of these rules; Provided further that such change shall not compromise with the building requirements namely, structural stability, safety, health or environmental provisions of Central laws and State laws applicable to the buildings covered under these rules.

9 ROLES AND RESPONSIBILITIES OF EEA-(BUILDING)

The EEA-(Building), whose services are engaged by the owner, shall -

- (1) verify and certify -
 - (a) the design of the building keeping in view the design criteria, energy goals of the project, energy systems performance verification plan, and the modelling approach;
 - (b) the energy conservation measures based on the design approach for the project under consideration;
 - (c) construction documents and compliance documents, compliance forms and checklists specified to ensure that the building complies with the MP-ECBC and these rules;
 - (d) energy performance index ratio of the proposed building;
- (2) furnish a certificate under its seal and authorized signature to the effect that drawings, specifications, construction documents, compliance documents and forms prepared covering building envelope, comfort system and controls, lighting and electrical power systems, wherever applicable, and all other MP-ECBC related documentation prepared for submission to the authority having jurisdiction ensuring compliance with these rules;
- (3) inspect the building works from the design stage to its commissioning stage of buildings, including their uses under these rules, and based on his certification, the authority having jurisdiction shall issue building permit, approve construction of building, issue completion and occupancy certificates;
- (4) the EEA-(Building) shall ensure that none of the professionals or employees working under him/her is engaged in any work in connection with the construction or alteration of the concerned building covered under these rules to ensure that there is no conflict of interest with his/her official duties with the interests of the authority having jurisdiction;
- (5) report to SDA/MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee on such unusual technical issues that may arise due to issue of building permit or construction of building or during occupancy stage;
- (6) provide inputs to the National and State Energy Conservation Building Code Implementation Committees to facilitate for better implementation of the MP-ECBC and these rules;
- (7) promote norms and standards specified in the MP-ECBC;

10 ROLES AND RESPONSIBILITIES OF STATE DESIGNATED AGENCY

The State Designated Agency established by the State Government under clause(d) of section-15 of the EC Act, in consultation with Bureau, shall-

- (1) coordinate, regulate and enforce provisions of the MP-ECBC and these rules in the State for efficient use of energy and its conservation under the Act;
- (2) ensure every commercial building or establishment having a connected load or contract demand as per the limits mentioned under Chapter-2 (Scope) of MP-ECBC, to be constructed in compliance with these rules;
- (3) monitor the performance of the EEA-(Building) to improve the quality, consistency and rate of compliance of these rules with a view to make the cadre of EEA-(Building) as effective instruments for promotion of energy efficiency in the building sector in the State;
- (4) create a data bank in the State to measure the compliance rates of the MP-ECBC compliant buildings and accurately account for the energy savings resulting from the compliance of these rules;
- (5) create a data bank on energy use per square meter of area of the building under different climatic regions namely, hot-and-dry climate and composite climate, separately for the State;
- (6) take necessary steps to make energy performance index as a measure to comply with these rules in the various categories of buildings and send its recommendations to the Bureau for the formulation of energy consumption norms and standards in respect of various categories of buildings constructed in different climatic zones in the State;

- (7) conduct site visits, or 3rd party assessment, if necessary, to determine the accuracy of reporting by EEA-(Building);
- (8) conduct site-visits for necessary checks if required as per Rules-3(b), and share necessary approval through MP-ECBC Implementation Committee on the declaration shared by owner
- (9) prepare a report on performance of EEA-(Building), listing out the projects complying with these rules, projects in violation of compliance with these rules and the level of violation, and provide summary of such violations for each year to the Bureau of Energy Efficiency;
- (10) coordinate with authority having jurisdiction to amend their building bye-laws, incorporating the provisions of these rules for the purpose of construction of buildings in compliance with MP-ECBC and these rules;
- (11) support the authority having jurisdiction to conform to the provisions of these rules with regard to matters concerning design construction, including energy conservation measures and occupancy for improving the energy performance of MP-ECBC compliant buildings and effectiveness in compliance of these rules;
- (12) provide technical support to DISCOM or Electric Regulatory Commission to conform to the provisions of these rules; especially for matters concerning monitoring and circulating energy consumption of the building for improving the energy performance of MP-ECBC compliant buildings and effectiveness in compliance;
- (13) coordinate/facilitate the BEE to conduct state level examination certification of EEA-(Building) ; to conduct empanelment of 'EEA-(Building)' in the State;
- (14) inter-act with State Government to ensure that-
 - 1) these Rules are made part of buildings Bye-laws of the State Municipal Authorities or Development Agencies or other Urban/Rural local bodies concerned with building related activities the State;
 - 2) reasonable level of penalties is imposed in case of violations or non-compliance with the provisions of these rules for failure to meet the obligations imposed on the owner for enforcement of these rules;

11 ROLES AND RESPONSIBILITIES OF DISTRIBUTION LICENSEE

The distribution licensee responsible for granting permanent electrical connection (new/renew) to owner of MP-ECBC compliant building, shall ensure that:

- (1) Unique Building Identification Code (UBID-Code) submitted by owner, is cross-verified with the UBID-Code shared by authority having jurisdiction; before acceptance of application for permanent electrical connection (new/re-new), from owner, which is eligible as per Rule-3;
- Or
- Before acceptance of application of renewal of existing permanent electrical connection for Owner which falls under the requirements of Rule-3 (application), shall ensure that application is attached with the approved letter of 'Declaration from Owner' by MP-ECBC Implementation Committee as per Rules-3(b)
- (2) for building which are partly classified as residential plus commercial, residential plus hospital, industry commercial, and others; then building area/space which falls under classification as per Rule-3, energy consumption shall be monitored as per Rule-11(4);
 - (3) share the energy consumption details of consumers of the MP-ECBC Compliant building/building-complexes regularly with SDA as prescribed format annexed as Annexure-I of these rules;
 - (4) If a building/building complex falls under applicability as per Rule-3, and is mixed-used type as per Chapter-2.5(g) of MP-ECBC; then energy consumption monitoring for the building shall be done as per Rule-11(3); while monthly energy consumption has to be monitored separately for each multiple owner(s), for which distribution licensee shall:
 - 1) be liable to monitor energy consumption of each owner(s);
 - 2) track and keep records of monthly energy consumption data of all metered electrical connections of the building;
 - 3) maintain the record of monthly energy consumption of multiple-owner(s) such that a 'Owner Suffix Code' after UBID has to be added as UBID-M_n(k); where M_n = M₁, M₂, M₃, M₄... are the no. of possible owner(s) in the building, and k = Meter no. which will be allotted to each owner;
 - 4) share energy consumption of multiple-owner(s) of a building with SDA or MP-ECBC Implementation Committee as per format mentioned in Annexure-I (under multiple-owner(s) in building). For further understanding, refer below procedure:
 - (a) A building going to have multiple-owner(s) will receive his UBID (XXXX/ECBC) by authority having jurisdiction along with approvals of building plans;
 - (b) When multiple-owner(s) will seek for permanent electrical connection then distribution licensee will add suffix M_n(k) with UBID, which can be addressed as UBID-M_n/Meter no. for each owner;

- (5) If a building/building-complexes need to comply with these rules, then for building with multiple tenant(s) having controlled by owner than distribution licensee shall provide energy consumption details only for building as a whole, as per Rule-11(3)

12 ROLES AND RESPONSIBILITIES OF AUTHORITY HAVING JURISDICTION

- (1) To ensure that existing process of 'building approval system', for erection/re-erection of building/building-complexes; will be in synch with the requirement of these rules after notification;
- (2) To ensure that all UBID generated shall have a suffix 'ECBC', syntax as (XXXX/ECBC) for MP-ECBC compliant building, and ensure that UBID will be issued, once complete set of FORMS are received as mentioned in Rules-6
- (3) To ensure that all MP-ECBC FORMS have been duly signed by EEA-(Building) and also uploaded/submitted before approval of building plans of MP-ECBC complaint buildings
- (4) To ensure that compliance certificate have been submitted by EEA-(Building) at different construction stages for MP-ECBC complaint buildings
- (5) In case of non-compliance certificate received by EEA-(Building) during the construction phase, authority having jurisdiction shall have the power to put a stay order on the construction till corrective measures are implemented
- (6) To ensure that UBID generated and shared with SDA and relevant DISCOM within five working days via electronic medium and hard copy of the UBID FORM is duly sealed by Authorized Official

13 INCENTIVES

If any building complies with the MP-ECBC, then building owner shall be awarded with certificate based on Energy Performance Levels as mentioned under clause (1) of section-2 of MP-ECBC; while,

MP-ECBC compliant building, designed & constructed based on natural ventilation or mixed mode, will receive preference in demonstration or research work in relevant field(s) undertaken by State Government, and will also receive preference, if/when an incentive program is launched by MP-ECBC Implementation Committee.

14 MISCELLANEOUS

- (1) The use of any energy conservation measures or method or design or construction, not specifically specified under these rules, shall not be prevented by the authority having jurisdiction, if such energy conservation measures or method or design or construction is found to be satisfactory by the MP-ECBC Technical Grievance Redressal Committee and such energy conservation measures or method or design or construction assist the owner in optimizing the energy performance index ratio in the use of energy on its occupancy
- (2) The MP-ECBC shall be reviewed periodically, at least once in five years, to determine the need for revision or withdrawal of standards specified in MP-ECBC, and such standards which in the opinion of the Bureau need no revision or amendment shall be reaffirmed
- (3) Provided further that wherever these rules are in conflict with safety, security, health or environmental codes, or Bureau of Energy Efficiency's Standard and Labelling for equipment or appliances and Star Rating Program for buildings and if they are more stringent than the requirement of these rules, then they shall prevail over these rules

FORM I

APPLICATION FOR BUILDING PERMIT FOR ERECTION OF NEW BUILDING/ BUILDING COMPLEX OR RE-ERECTION OF EXISTING BUILDING/ BUILDING COMPLEX (ADDITION/ ALTERATION) INTENDED TO HAVE COMPLIANCE WITH MP-ECBC

Date: ___/___/___

To,

*The Designation**Name of Organisation**Address***Subject: Application for erection/re-erection of MP-ECBC compliant building**

Location details:

Owner Name: _____

Building Type: _____

Application (Ref.) Number: _____

Plot/Block Number: _____

Scheme: _____

Street: _____

City: _____

District: _____

Pincode: _____

Block Number: _____

Dear Sir,

I/we hereby submit intend to erect/ re-erect a building which will be eligible for MP-ECBC compliance. We have assigned an Empanelled Energy Auditor (Building) for this project, named as Mr./Ms. _____ having his/her Registration number: _____.

The relevant documents for this project are enclosed as:

1. Approved construction documents and compliance forms together with check-lists incorporating necessary measures as mentioned in MP-ECBC and its Rules
2. Form-II duly signed by Empanelled Energy Auditor (Building)

I/we understand that the proposed building attracts the provisions of MP-ECBC and its Rules for design, construction and liasoning and I/we are bound to follow those provision. In case of any deviation, I/We shall indemnify the loss to the relevant authority.

Yours faithfully

*Name of Owner**Name of Organisation**(Seal and Signature)*

Copy to: Designation, name of Department

FORM II**CERTIFICATE OF COMPLIANCE or NON-COMPLIANCE**

(Phase - Design)

Date: ___/___/___

To,

*The Designation**Name of Organisation**Address***Subject: Assurance of compliance for the building/ building complex-**

Location details:

Owner Name: _____

Building Type: _____

Application (Ref.) Number: _____

Plot/ Block Number: _____

Scheme: _____

Street: _____

City: _____

District: _____

Pincode: _____

Block Number: _____

Dear Sir,

I Mr./Ms. _____ a registered Empanelled Energy Auditor (Building) with registration no. _____ under the Energy Conservation Act 2001 (52 of 2001) and I am authorized to scrutinize and verify the MP-ECBC compliant building form design to post-occupancy.

During design phase I have scrutinized all the necessary documents pertaining to MP-ECBC and its Rules. I do ensure that necessary checklist, forms and construction documents are verified and submitted to client for further process.

- I hereby do certify that- I have NO OBJECTION for aforesaid proposed building/ building complex as per the requirement of MP-ECBC and its Rules. For the same approved checklists, construction documents are attached herewith as Annexure-(number)

Or

- I hereby do certify that- I have OBJECTION for aforesaid proposed building/ building complex as per the requirement of MP-ECBC and its Rules, relevant details are briefed in FORM-IV. For the same desired checklists, construction documents are attached herewith as Annexure-(number).

Name of EEA (Building)

Registration Number

(Seal and Signature)

Copy to: Designation, name of Department

FORM III**NOTICE TO INITIATE ERECTION/RE-ERECTION FOR PROPOSED MP-ECBC COMPLIANT BUILDING/ BUILDING COMPLEX**

Date: ___/___/___

To,

*The Designation**Name of Organisation**Address***Subject: Intention for initiating the construction of proposed MP-ECBC compliant building/ building complex****Building/Building Complex details:**

Owner Name: _____

Building Type: _____

Application (Ref.) Number: _____

Plot/ Block Number: _____

Scheme: _____

Street: _____

City: _____

District: _____

Pincode: _____

Block Number: _____

Dear Sir,

I am/we owner of aforesaid proposed building/building complex, hereby submit the construction documents duly signed by EEA (Building) attached as Annexure-(number). Further I/we undertake the responsibility of the documents relevant to MP-ECBC attached herewith and do confirm that the proposed building/building complex will be constructed as per this annexed document. If any information submitted is found to be incorrect, I/we shall indemnify the loss to the authority having jurisdiction.

For aforesaid proposed building/building, I/we are intended to begin construction from (number) day of (name of month) in (year). Kindly grant us the permission for the same to initiate the desired construction.

Yours faithfully

Name of EEA (Building)

Registration Number

(Seal and Signature)

Copy to: Designation, name of Department

FORM IV

CERTIFICATE OF COMPLIANCE or NON-COMPLIANCE

(Phase - Construction/ Post-Construction)

Date: ___/___/___

To,

The Designation

Name of Organisation

Address

Subject: Certificate of compliance for the MP-ECBC compliant building/ building complex-

Location details:

Owner Name: _____

Building Type: _____

Application (Ref.) Number: _____

Plot/ Block Number: _____

Scheme: _____

Street: _____

City: _____

District: _____

Pincode: _____

Block Number: _____

Dear Sir,

I Mr./Ms. _____ a registered Empanelled Energy Auditor (Building) with registration no. _____ under the Energy Conservation Act 2001 (52 of 2001) and I am authorized to scrutinize and verify the MP-ECBC compliant building form design to post-occupancy.

During construction/post-occupancy phase I have scrutinized all the compliance documents and pertaining to MP-ECBC and its Rules. I do ensure that necessary checklist, forms and construction documents are verified and submitted to client for further process.

I hereby do certify that- I have NO OBJECTION for aforesaid proposed building/ building complex as per the requirement of MP-ECBC and its Rules. For the same approved checklists, construction documents are attached herewith as Annexure-(number)

Or

I hereby do certify that- I have OBJECTION for aforesaid proposed building/ building complex as per the requirement of MP-ECBC and its Rules, relevant details are briefed in FORM-IV. For the same desired checklists, construction documents are attached herewith as Annexure-(number).

Yours faithfully

Name of EEA (Building)

Registration Number

(Seal and Signature)

Copy to: Designation, name of Department

FORM V
NOTICE OF WORK COMPLETION

To,

*The Designation**Name of Organisation**Address***Subject: Assurance of completion of erection/re-erection for the MP-ECBC compliant building/ building complex-**

Location details:

Owner Name: _____

Building Type: _____

Application(Ref.) Number: _____

Plot/ Block Number: _____

Scheme: _____

Street: _____

City: _____

District: _____

Pin-code: _____

Block Number: _____

Dear Sir,

I Mr./Ms. _____ a registered Empanelled Energy Auditor (Building) with registration no. _____ under the Energy Conservation Act 2001 (52 of 2001) and I am authorized to scrutinize and verify the MP-ECBC compliant building form design phase till post-occupancy phase.

During construction phase I have scrutinized all the compliance documents and pertaining to MP-ECBC and its Rules. I do ensure that duly signed checklist, forms and construction documents were verified and submitted during the design and construction phase, including revision or non-revisions made during this tenure.

Further I hereby do assure that – the design and construction were executed in compliance with MP-ECBC and its Rules. And work have been completed on date __/__/____ and would request you to initiate process for issue of occupancy certificate, as building/building complex is willing to occupy spaces from date __/__/____.

Yours faithfully

Name of EEA (Building)

Registration Number

(Seal and Signature)

Copy to: Designation, name of Department

CHECKLISTS

Checklists must be referred from section-11 of english version of Madhya Pradesh-Energy Conservation Building Code or as per its subsequent versions provided by State Designated Agency

MADHYA PRADESH ENERGY CONSERVATION BUILDING CODE

Refer updated version of "Madhya Pradesh-Energy Conservation Building Code", which has been amended by State Designated Agency for the state of Madhya Pradesh to suits the regional and local climatic conditions

CLIMATIC CLASSIFICATION

For classification of climatic conditions of Madhya Pradesh, kindly refer section-11 of english version of Madhya Pradesh-

ANNEXURE-I**FORM SUBMITTAL FOR DEPARTMENTS HAVING THEIR ROLES & RESPONSIBILITIES IN MP-ECBC**

Below form to be filled by AUTHORITY HAVING JURISDICTION and share with MPUVNL and DISTRIBUTION LICENSEE via email on approval of document (to be shared Instantaneously) also with official letter to be sent to relevant departments

TO BE FILLED BY AUTHORITY HAVING JURISDICTION as per MP-ECBC Rules		
Sr. No.	Description	Details (sample)
1	Unique Building Identification-Code	XXXXX
2.1	Connected Load of Building	100kW or greater
2.2	Or Building Contract Demand	120 kVA or greater
3	Building Type	Single Owned, Core and Shell or Mixed-use
4	Building classification as per §3.2, Applicability, MP-ECBC Rules	Hospitality, Health Care, Assembly, Business, and others
5	Total Building Built-up Area (in sq. m.)	
6	Total Building Area under §3.2, Applicability, MP-ECBC Rules	For Commercial building (not for area other than commercial buildings as per §3.2, Applicability, MP-ECBC Rules)
7	No. of Floor under §3.2, Applicability, MP-ECBC Rules	For Commercial building (not for floor other than commercial buildings as per §3.2, Applicability, MP-ECBC Rules)
8	Total Conditioned Area of Building (in sq. m.)	
9	Total unconditioned Area of Building (in sq. m.)	
10	Division	
11	District	
12	City/Town/Village	
13	Climatic Classification	Hot-dry, and Composite Climate
14	Date of Approval	
15	Authorized Signature	

*A copy of above letter with seal and signature needs to be shared with OWNER along with approval of BUILDING DRAWINGS

Below Form to be filled by DISTRIBUTION LICENSEE or by OWNER
(as per Rules-8.9 & Rules-11.4)

To be shared with MPUVNL and STEERING COMMITTEE MEMBER via email on approval for PERMANENT ELECTRICAL CONNECTION (to be shared Instantaneously). Also, a copy of receipt shared by OWNER on UBID, while applying for NEW PERMANENT ELECTRICAL CONNECTION (which needs to be shared once, during first correspondence of each new UBID)

Sr. No.	Description	For Single Owner / Mn	Maximum Recorded Demand (in KVA)
1	Unique Building Identification-Code (to be cross-checked with the email/letter shared by UADD)	XXXXX	
2	Connected Load of Building (as per receipt share by Owner)	100kW or greater	
3	Or Building Contract Demand (as per receipt share by Owner)	120 kVA or greater	
4	Building Type (as per receipt share by Owner)	Single Owned, Core and Shell or Mixed-use	
5	Building classification (as per receipt share by Owner)	Hospitality, Health Care, Assembly, or others	
6	Energy Consumption Details (in kWh); year	ex.: FY 2018-19	
6.1	April		
6.2	May		
6.3	June		
6.4	July		
6.5	August		
6.6	September		
6.7	October		
6.8	November		
6.9	December		
6.1	January		
6.11	February		
6.12	March		
7	Connection Type		
8	IVRS/Account ID		
9	Annual Average Unit Rate (in Rs./kWh)		

*Above sheet will be of 'Mn' nos.; preferably for section-14.7 and 16.7 of these rules

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (Short Title & Commencement)

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश-ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियम है।
- (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

परिभाषा (Definitions)

- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (1) 'अधिनियम' (Act) से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 यथा संशोधित, (2001 का 52) अभिप्रेत है;
 - (2) 'अधिकारिता के प्राधिकारी' (Authority Having Jurisdiction) से अभिप्रेत है नगर/ग्राम-प्राधिकरण या समिति या परिषद् या विकास एवं नियोजन प्राधिकरण है, जिसे अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भवनों में अनुमोदन/निर्माण/पुनर्निर्माण को विनियमित करने की जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं;
 - (3) 'सर्वोत्तम प्रथाओं' (Best Practices) से तात्पर्य उन उपायों से अभिप्रेत है जिनमें-
 - (a) सुरक्षा के संबंध में निर्माण की लागत को कम करना, भवन संरचना की स्थिरता, केंद्रीय विधियों या राज्य विधियों के स्वास्थ्य और पर्यावरणीय उपाय; और
 - (b) जिसमें मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित ऊर्जा संरक्षण उपाय शामिल हैं;
 - (4) 'भवन' या 'भवन संकुल' (Building or Building Complex) का तात्पर्य एक ऐसी संरचना से है जिसे पूर्णतया या आंशिक रूप से बाह्य तथा सार्वजनिक दीवारों तथा छत द्वारा समस्त रूप से घेरा जाता है जिसके द्वारा व्यक्तियों, पशुओं या सम्पत्ति को आश्रय प्रदान किया जाता है। भवन संकुल का तात्पर्य एक संस्पर्शी क्षेत्र में एक भवन या भवन समूह से है जिसका उपयोग व्यवसाय/व्यापार, वाणिज्यिक, संस्थागत स्वास्थ्य देखभाल, आतिथ्य सत्कार या सम्मेलन भवन प्रयोजनों के लिये किया जाता है या फिर ये व्यक्तियों के एकल स्वामित्व अथवा व्यक्तियों के समूह के अंतर्गत या सहकारी समूह समिति के नाम से या पट्टे पर प्राप्त किये गये होते हैं या जिनका प्रमुख दुकानों के रूप में किया जाता है या कार्यालय स्थान के रूप में या अन्य वाणिज्यिक प्रयोजनों हेतु स्थान होते हैं, जिनका संयोजित विद्युत भार या संविदा माँग एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) में परिभाषित किया गया हो।
 - (5) 'निर्मित क्षेत्रफल' (Built-up Area): निर्मित क्षेत्र से अभिप्रेत होगा समस्त तालों का कुल निर्मित क्षेत्र लिफ्ट बेल सर्विस ड्रवट लिफ्ट हेतु मशीने कक्ष, जल टैंकिया उत्पापक (एस्किलेटर) लिफ्ट लॉबी, अग्नि निकास, रैप, रिपयूज तथा सर्विस ड्रवट, बीच का तल (मैजनाईन फ्लोर) बालकनी 1.2 मीटर तक वाहन क्षेत्र, वाहन तल, यन्त्रचालित वाहन क्षेत्र, पोर्च सर्विस फ्लोर, पोडियम, निजी गैरेज (25 वर्ग मीटर से अधिका), कर्मचारी आवास (25 वर्ग मीटर से अधिका), तल घर (मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं उसके बाद के संस्करण के खण्ड 76 के अध्याधीन रहते हुए), गलियारे, आर्कड, लॉबी, मन्दी, सीढ़िया, प्रेश लॉबी या फोयर्स, एट्रीयम, जो की वाणिज्यिक क्रियाकलाप के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, पंप कक्ष तथा दो चौकीदार के इट प्रत्येक 8 वर्ग मीटर से अधिक न हो, मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं उसके बाद के संस्करण के खण्ड 58 के अधीन विहित सीमाओं से अधिक अध्यादित बहार निकले हुए भाग सम्मिलित होंगे। यदि निर्मित स्वरूप के नीचे का भाग विद्यमान भू संरचना के कारण आवास योग्य स्थान के रूप में उपयोग किया जाता है तो ऐसा क्षेत्र आवास योग्य क्षेत्र के रूप में अनुमत्त किया जा सकेगा तथा तल क्षेत्र अनुपात के रूप में संगणित किया जायगा।
 - (6) 'ब्यूरो या बोर्ड' (Bureau or BEE): से अभिप्रेत है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, भारत सरकार;
 - (7) 'उप-नियमों' (Bye Laws): से अभिप्रेत है इसकी अधिकारिता में आने वाले इसके क्षेत्रों में निर्माण क्रियाकलापों के विनियमन के लिए इसके नियंत्रण के अधीन राज्य सरकार या किसी भी प्राधिकारी द्वारा निर्मित भवन उप-नियम है- सभी नगरपालिका प्राधिकरण या समितियाँ या परिषदें; या नगर पंचायतें या विकास या योजना के प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्र; राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विभिन्न विकास योजनाओं के अंतर्गत और उसके अधिकारिता में जिसमें उक्त प्राधिकरण द्वारा लागू मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का अनुपालन करने वाला भवन स्थित होगा और इसमें राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी विनियम या नियम या राज्य सरकार द्वारा स्थापित अधिकारिता वाले किसी भी अन्य प्राधिकरण में शामिल होगा;
 - (8) 'प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)' (Certified Energy Auditor (Building)): से अभिप्रेत है एक व्यक्ति जो ऊर्जा संरक्षण (ऊर्जा लेखा परीक्षकों और ऊर्जा प्रबंधकों के लिए न्यूनतम अर्हता) नियम 2008 में निर्दिष्ट पात्रता, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत दिए गए निर्दिष्ट पात्रता मानदण्डों को पूरा करता है और जिसने ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन के लिए राष्ट्रीय परीक्षा अर्हता की है;
 - (9) 'वाणिज्यिक भवन' (Commercial Building): ये एक भवन, या भवन का कोई भाग या भवन संकुल है जिनका उपयोग या उपयोग का उद्देश्य वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये होता है तथा इसे टाईम ऑफ दी डे के अनुसार भवन को परिभाषित होने के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा इसका रूपांकन निर्माण तथा उपयोग की संरचनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नानुसार उपवर्गीकृत किया जाता है-
 - (a) समूह एक- इनके अंतर्गत चौबीस घंटे उपयोग में आने वाले टाईप-ए आतिथ्य सत्कार टाईप-बी स्वास्थ्य देखभाल तथा टाईप-सी सम्मेलन भवन आदि शामिल हैं, और
 - (b) समूह दो- इसके अंतर्गत नियमित भवन आते हैं जिनमें टाईप-डी व्यवसाय/व्यापार टाईप-ई शैक्षणिक तथा टाईप-एफ विपणन संकुल शामिल हैं।
 - (10) 'अनुपालन विलेख' (Compliance Document): ये ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता नियमों तथा विधियों में निर्दिष्ट किये गये प्रारूप हैं जिनका उपयोग इन नियमों के अनुपालन को अभिलेखित तथा परीक्षण करने के लिये किया जाता है। इनमें निम्न को शामिल किया जाता है, जो मात्र इन तक ही सीमित नहीं होते, यथा, अर्थात् ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात अनुपालन प्रतिवेदन, अर्थात् भवन आवरण अनुपालन प्रारूप, अर्थात् यान्त्रिक प्रणालियाँ अनुपालन प्रारूप तथा अनुज्ञा जॉच सूची, अर्थात् प्रकाश व्यवस्था प्रणाली अनुपालन प्रारूप तथा विद्यमान अथवा प्रस्तावित भवनों हेतु प्रमाणित ऊर्जा अंकेषक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र;
 - (11) 'संयोजित भार' (Connected Load): यह भवनों या भवन संकुलों या भवन के किसी भाग में स्थापित किये जाने वाले समस्त उपकरणों उपस्करों, तथा यंत्रों के मूल्योक्त वाटेज (Wattage) का योग है जिसे किलोवाट के रूप में दर्शाया जाता है तथा जिसे समस्त आवेदकों को प्रस्तावित भवन या भवन संकुलों के बारे में उनके कार्य समापन पर विद्युत ऊर्जा खपत हेतु आवंटित किया जाता है। इन नियमों में इसका तात्पर्य एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) में परिभाषित आँकड़ों से होगा;
 - (12) 'निर्माण विलेख' (Construction Document): ये अधिकारिता के प्राधिकारी हेतु वांछित आरेखण अथवा विलेख होते हैं जिनके अंतर्गत भवन निर्माण प्रक्रियाएँ तथा अनुमोदन, भवन निर्माण सामग्री तथा उपकरण विशिष्टियाँ, वास्तुशिल्पीय विवरण आदि सम्मिलित होते हैं;
 - (13) 'संविदा माँग' (Contract Demand): यह किलोवाट अथवा किलो वोल्ट एम्पीयर में (उपभोक्ता के स्वीकृत भार के अंतर्गत) अधिकतम माँग है जिसे विद्युत प्रदायक संस्था या जनोपयोगी सेवा द्वारा उपयोगकर्ताओं तथा जनोपयोगी सेवा अथवा विद्युत प्रदायक संस्था के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के अंतर्गत प्रदाय किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है। इन नियमों में इसका तात्पर्य

- एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) में परिभाषित आँकड़ों से होगा;
- (14) 'विभाग' (Department): नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मध्यप्रदेश शासन;
- (15) 'विद्युत वितरण अनुज्ञापिकाधारी' (DISCOM or Distribution Licensee): से अभिप्रेत है अनुज्ञापिकाधारी जो अपने विद्युत प्रदाय क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय संबंधी वितरण प्रणाली के परिचालन तथा संचारण हेतु प्राधिकृत है;
- (16) 'संहिता' से अधिनियम के अधीन ब्यूरो द्वारा विरचित ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अभिप्रेत है;
- (17) 'नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन)' (Empanelled Energy Auditor (Building)): से अभिप्रेत है फर्म जिसमें ऊर्जा रक्षता ब्यूरो (ऊर्जा लेखा परीक्षक और ऊर्जा प्रबंधक) विनियम, 2010 के अधीन प्रमाणित ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) जो ब्यूरो या राज्य नामित अधिकरण के साथ सूचीबद्ध है;
- (18) 'ऊर्जा निष्पादन सूचकांक' (Energy Performance Index): किसी भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक का अभिप्राय भवन के क्षेत्रफल की वार्षिक ऊर्जा खपत से है जिसकी गणना किलोवाट-आवर्स प्रतिवर्ग मीटर में विद्यमान या प्रस्तावित भवन हेतु निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी, अर्थात्

$$\text{ऊर्जा निष्पादन सूचकांक} = \frac{\text{किलोवाट आवर (टोटल) में वार्षिक ऊर्जा खपत}}{\text{निर्मित क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)}} \\ \text{[संरक्षण क्षेत्रफल + तलघर में पार्किंग क्षेत्रफल को छोड़कर]}$$

- (19) 'ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात' (Energy Performance Index Ratio): का तात्पर्य प्रस्तावित भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक तथा मानक भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक के अनुपात से है;
- (20) 'प्रतिष्ठान' (Establishment): से अभिप्रेत है एक कारोबार या अन्य संगठन या वह स्थायन जहाँ एक संगठन संचालित होता है और इसमें एक सरकारी प्रतिष्ठान और प्राईवेट प्रतिष्ठान शामिल होता है;
- (21) 'प्रारूप' (FORM): से इन नियमों के साथ संलग्न प्रारूप अभिप्रेत है;
- (22) 'मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (म.प्र.-ई.सी.बी.सी.)' (Madhya Pradesh Energy Conservation Building Code) से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के खंड (a) के अधीन विभाग द्वारा विरचित किया गया संहिता का उद्यतन संस्करण अभिप्रेत है;
- (23) 'मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड' (Madhya Pradesh Urja Vikas Nigam Limited): ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 की धारा-15 के खण्ड-घ के अनुसार राज्य नामित अधिकरण है जो राज्य के अधीन इस अधिनियम के प्रावधानों के समन्वयन, विनियम तथा प्रवर्तन हेतु उत्तरदायी संस्था है।
- (24) 'स्वामी' (Owner): से तात्पर्य है कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, श्वास, संस्था, पंजीकृत निकाय राज्य या फिर केन्द्र सरकार तथा इनके संलग्न या अधीनस्थ विभाग, उपक्रम तथा सनूश अधिकरण या संगठन/संस्थाएँ जिनके नाम से सम्पत्ति किसी भवन या भवन संकुल के निर्माण हेतु राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत की गई है।
- (25) 'प्रस्तावित भवन' (Proposed Building): यह भवन के वास्तविक रूपांकन से सुसंबद्ध होता है तथा मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।
- (26) 'प्रस्तावित रूपांकन' (Proposed Design): यह वास्तविक रूपांकन से सुसंबद्ध प्रस्तावित भवन का कम्प्यूटर मॉडल होता है जो ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की समस्त अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।
- (27) 'प्रतिनिधि' (Representative): का अर्थ किसी विभाग के प्राधिकृत अधिकारी से है जो इन नियमों की जरूरत अनुसार आवश्यक निर्णय लेने हेतु प्राधिकृत है।
- (28) 'मानक भवन' (Standard Building): एक ऐसा भवन है जिसके निर्माण में अत्यंतम तौर पर ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की समस्त अनिवार्य तथा निर्देशात्मक आवश्यकताओं का अनुपालन किया जाता है तथा इसका प्रस्तावित भवन के अनुरूप ही समान फर्श क्षेत्रफल, सकल दीवार क्षेत्रफल, तथा सकल छत क्षेत्रफल होता है।
- (29) 'मानक रूपांकन' (Standard Design): यह वास्तविक भवन के रूपांकन पर आधारित किसी परिकल्पित भवन का कम्प्यूटर मॉडल है जिसे तैयार करने में ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की समस्त अनिवार्य आवश्यकताओं तथा अत्यंतम तौर पर निर्देशात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है जैसा कि इसका वर्णन सम्पूर्ण भवन निष्पादन विधि में किया गया है।
- (2) संहिता में प्रयुक्त जिन शब्दों और अभिव्यक्तियों को परिभाषित नहीं किया गया है किन्तु अधिनियम में परिभाषित है, इनके वही अर्थ होंगे जो मध्यप्रदेश ऊर्जा भवन संरक्षण संहिता या राष्ट्रीय भवन संहिता या इसके बाद के अद्यतन संस्करणों में किया गया है।

3 आवेदन (Application)

यह नियम प्रत्येक नए भवन, या नए भवन संकुल पर लागू होंगे; यदि वह एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) के अंतर्गत आते हो हालांकि, यह नियम विद्यमान भवन, या विद्यमान भवन संकुल पर भी लागू होंगे।

- (a) यदि इनमें किसी प्रकार के परिवर्तन या विस्तार किये जाने के बाद, संयोजित भार या संविदा मॉड में बदलाव होने पर (विद्यमान भार या मॉड से - समान रहने पर, घटने या बढ़ने पर), यदि एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) के अंतर्गत आता हो; तब स्वामी को अध्याय-3 के खंड (a) के अनुसार उल्लेखित नियमों का अनुपालन करना होगा।

अथवा

- (b) यदि भवनों में किसी प्रकार के परिवर्तन या विस्तार ना किये गया हो, जबकि संयोजित भार या संविदा मॉड में बदलाव होने पर, यदि एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) के अंतर्गत आता हो, तब स्वामी को घोषणापत्र के माध्यम से राज्य नामित अधिकरण से मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति कि निगरानी में अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता होगी।

4 अनुपालन एवं विधि (Compliance and Approach)

इन नियमों का अनुपालन एवं विधि एमपी-ईसीबीसी के अनुसार; या इसके बाद के संशोधन अथवा अद्यतन संस्करणों के अनुसार होना चाहिए।

5 संस्थागत व्यवस्था (Institutional Setup)

मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के सुचारु संचालन, क्रियान्वयन एवं प्रवर्तन के लिए निम्नलिखित समितियाँ स्थापित की जानी हैं:-

- (1) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति (MP-ECBC Implementation committee)- राज्य के लिए, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति का गठन करेगी, जिसमें निम्न सदस्य होंगे -
- राज्य शासन के मुख्य सचिव या चयनित प्रतिनिधि- अध्यक्ष
 - प्रमुख सचिव, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग- सदस्य
 - प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग- सदस्य
 - प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग- सदस्य
 - प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग- सदस्य
 - प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग- सदस्य
 - संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश- सदस्य

- राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के परियोजना निदेशक (परियोजना कार्यान्वयन इकाई) या मुख्य अभियंता- सदस्य
- राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग के मुख्य वास्तुविद- सदस्य
- ज्ञात, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग- सदस्य
- प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी से एक प्रतिनिधि- सदस्य
- ऊर्जा कार्यकुशलता ब्यूरो, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय के प्रतिनिधि- सदस्य
- प्रबंध संचालक, म.प्र. ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल- सदस्य सचिव
- विभाग द्वारा चयनित तीन तकनीकी विशेषज्ञ- सदस्य

मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति के मुख्य उत्तरदायित्व निम्नानुसार है -

- (a) इन नियमों के उपाबंधों के अनुसार भवन के निष्पादन के लिए भवन के विभिन्न घटकों और प्रणालियों में मापदण्डों के अनुकूलन के माध्यम से ऊर्जा दक्षता मानकों को बढ़ावा देना और वाणिज्यिक भवनों और प्रतिष्ठानों में ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने का एक प्रभावी साधन बनाने के लिए प्रत्येक समर्थन प्रदान करना;
 - (b) राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति की सहायता के लिए ब्यूरो को इसकी सिफारिशों को अंग्रेषित के लिए ऊर्जा निष्पादन सूचकांक, क्षेत्र-वार - गर्म और शुष्क क्षेत्र एवं मिश्रित क्षेत्र का वर्गीकरण-वार करना;
 - (c) ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और संहिता के अनुपालन वाले भवन निर्माण के लिए प्रक्रिया के बारे में जागरूकता सृजन करना;
 - (d) ऊर्जा दक्ष भवनों के निर्माण को प्रोत्साहन देना जिससे कि भवन निर्माण परियोजनाओं की जलवायु परिस्थितियों और आवश्यकताओं के संबंध में, उनके निर्माण में, गुणवत्ता और निरंतरता सुनिश्चित हो सके;
 - (e) भवनों के ऊर्जा दक्ष रूपांकन को बढ़ावा देने के लिए अधिकारिता के प्राधिकारियों के साथ निकट सम्बन्ध में भवन निर्माण कृषिकों, निर्माणकर्ता और संविदाकारों की क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना;
 - (f) विभागों/संस्थानों/भवन-स्वामी/एवं-अन्य के निर्धारित उत्तरदायित्व के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार शुल्क-संरचना एवं वित्तीय-व्यवस्था की संरचना कर लागू करना;
 - (g) सभी नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के ब्यौरों को जाँचने के लिए उनके वार्षिक कार्य के निष्पादन का पुर्नविलोकन करना;
 - (h) आवश्यकतानुसार, लम्बे अवधिकांता के प्राधिकारी, राज्य नामित अभिकरण एवं विद्युत वितरण अनुज्ञापिका, के सुझावों के आधार पर, प्राधिकारी मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति की भूमिका और जिम्मेदारियों पर आवश्यक संशोधन करना;
 - (i) हर पांच साल में कम से कम एक बार मध्य प्रदेश के लिए ईसीबीसी पर समीक्षा करना; अथवा आवश्यकतानुसार ब्यूरो के परामर्श से इन नियमों में निर्दिष्ट ईसीबीसी को संशोधित करना;
 - (j) अतिक्रमण का सारांश तैयार करना जो राज्य अभिहित अभिकरण द्वारा ब्यूरो को प्रदान किया जाएगा और उनके व्यावसायिक कौशल का मूल्यांकन करने के प्रयोजन के लिए इस तरह के अतिक्रमण को पुर्नविलोकन होगी;
- (2) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति (MP-ECBC Technical Grievances Redressal Committee)- मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति अपने राज्य के लिए, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी की अध्यक्षता वाली "मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति समिति" का गठन करेगी, जो अनुभव और प्रशिक्षण से योग्य है एवं राज्य में मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन के निर्माण से संबंधित मामलों पर निर्णय दे:
- नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अधिकारी (अध्यक्ष)
 - राज्य नामित अभिकरण के प्रतिनिधि (सदस्य)
 - सम्बन्धित अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के प्रतिनिधि (सदस्य)
 - एक तकनीकी विशेषज्ञ (सदस्य)

मध्यप्रदेश तकनीकी निवारण समिति के उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं-

- (a) इस संबंध में किसी भी शिकायत की सुनवाई की जाए;
- (b) अधिकारिता वाले प्राधिकारी द्वारा दिए गए निर्दिष्ट समय अवधि के अंदर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुपालन वाली भवन के स्वामी द्वारा भवन परमिट, पूर्णता प्रमाण-पत्र, भवन के अधिमोग प्रमाण-पत्र सहित पूरा होने के चरण पर ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात के निर्धारण और इन नियमों की व्याख्या या मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता एवं नियमों के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी अन्य शिकायत की सुनवाई की जाए;
- (c) इस तरह के मुद्दे पर यथास्थिति या अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा कार्यान्वयन करने के लिए अधिकारिता के प्राधिकारी को सिफारिशें करें;

6 मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण संहिता के अनुपालन वाले भवन के निर्माण की प्रक्रिया (Procedure for Erection/Re-Erection of MP-ECBC Compliant Building)

मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुसार भवन/भवन के समूह का निर्माण या पुन-निर्माण तीन चरणों में जैसे रूपांकन चरण, निर्माण चरण एवं निर्माण परश्चात् चरण; इन चरणों में क्रियान्वयन के दौरान आवेदक को निम्न लक्ष्य/प्राप्ति का प्रमुख ध्यान रखना आवश्यक होगा-

- नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक को नियुक्त करना
- अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा यूबीआईडी की प्राप्ति करना
- भवन निर्माण या पुन-निर्माण की समाप्ति परश्चात् संहिता अनुसार ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात को प्राप्त करना

इसके अतिरिक्त भवन स्वामी द्वारा संहिता को समझने की आवश्यकता है कि मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुपालन के लिए एक एकीकृत रूपांकन प्रक्रिया की आवश्यकता है। भवन स्वामी, विभिन्न विषयों में विशेषज्ञों के साथ रूपांकन टीम के साथ ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) नियुक्त करेगा और मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता या ऊर्जा दक्षता भवन डिजाइनिंग पर पूरी जानकारी ग्रहण करेगा। तीनों चरणों के अनुसार भवन/भवन संकुल के लिए मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुपालन के लिए निर्माण/पुर्ननिर्माण के दौरान प्रक्रिया के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई है-

रूपांकन चरण (Design Phase):-

- (1) प्रत्येक स्वामी, जो किसी भवन या भवन संकुल का निर्माण/पुनर्निर्माण करना या इन नियमों के अधीन किसी भी भवन में बदलाव या कुछ नया निर्माण जोड़ने का आशय रखता है, तो संबंधित अधिकारिता के प्राधिकारी के पास प्रारूप-1 में इनके साथ एक आवेदनक जमा करेगा—
- (a) प्रारूप-1 में एक उपक्रम के साथ स्वामी द्वारा सम्बन्धक रूप से हस्ताक्षरित सन्निर्माण दस्तावेज;
- (b) सन्निर्माण दस्तावेज सुनिश्चित करेगा—
- (i) प्रकृत में भवन उपनियम का अनुपालन;
- (ii) भवन रूपांकन में भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात का अनुकूलन करने के लिए भवन के स्थल और विशिष्ट आवश्यकताओं की जलवायु परिस्थितियों के संबंध में ऊर्जा संरक्षण उपायों और सर्वोत्तम राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को शामिल किया गया है;
- (iii) जो कि सभी डेटा, भवन की विशेषताएँ विभिन्न निर्माण घटक और प्रणालियों के अधीन पहचाने गए ऊर्जा संरक्षण उपायों को विस्तार से और उप-नियमों में निर्दिष्ट रीति से दिखाया गया है;
- (iv) योजना के आरेख, योजना के रंग, योजना के आयाम, योजना के पैमाने; लागू होने वाले उप-विधियों की अपेक्षाओं के अनुसार हो।
- (c) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के घटकों और प्रणालियों के निर्माण को अच्चादित करने वाले अनुपालन दस्तावेजों में शामिल है, जिसे पैनल में सूचीबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा निम्नलिखित मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता प्रमाणित किया गया है, अर्थात्
- (i) रूपांकन चरण पर प्रस्तावित भवन के संबंध में ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात रिपोर्ट;
- (ii) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के परिशिष्ट में निर्दिष्ट रूप में अनुपालन दस्तावेज प्रमाणित करते हुए नाभिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) द्वारा प्रारूप-2 में प्रमाण-पत्र;
- (iii) पहचाने गए ऊर्जा संरक्षण उपायों के संबंध में जाँच की गई है या सत्यापित किया गया है; और
- (iv) प्रस्तावित भवन के सम्बन्ध; में निर्माण कार्य आरम्भ करने से पहले सम्बंधित अधिकारिता के प्राधिकारी से निर्माण परमिट की माँग करने के लिए स्वामी द्वारा सम्बन्धक रूप हस्ताक्षर किए गए और "ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन भवन बनाने/पुनः स्थापित करने की अनुमति के लिए आवेदन" लिखित शीर्षक के साथ एक आवेदन।
- नोट :- इस विषय के रूपांकन के तहत निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या दस्तावेजों की हार्ड कॉपी की अपेक्षा हो सकती।
- (2) नाभिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), रूपांकन चरण में निरीक्षण की निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेंगे, अर्थात्—
- (a) इस संबंध में निर्माण दस्तावेज जैसे कि फर्श का क्षेत्रफल; खिड़की का क्षेत्रफल; दीवार का क्षेत्रफल; भवन की छत का क्षेत्रफल; भवन परियोजना के निर्मित क्षेत्रफल; की जाँच करना;
- (b) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुपालन दस्तावेजों की जाँच करना और संहिता के परिशिष्ट-घ में निर्दिष्ट रूप में जाँच सूची और पहचान—
- (i) ऊर्जा संरक्षण के उपाय जो भवनों के प्रस्तावित रूपांकन पर लागू होते हैं;
- (ii) बीमारों और छतों में सम्भरोधक मात्राएँ, और समुच्चय के लिए निर्माण, सौर ताप गुणक, खिड़की के समुच्चय क्षेत्र के लिए दृश्यमान प्रकाश संप्रेषण और तापीय संप्रेषण (U-कारक);
- (iii) वायु संचालन उपकरण, प्रशीतक उपकरण, संचयित उपकरण और वायु प्रवाह सारांश के लिए तापन संवातन और एयर कंडीशनिंग घटक सारणियों; ताप, संवातन और वातानुकूलन उपस्कर की क्षमताएँ और नियंत्रण उपस्कर;
- (iv) प्रकाश उपस्कर की अनुसूचियों को दर्शाने की सारणियों; रूपांकन दस्तावेजों में विद्युत प्रकाश घनत्व गणना; प्रकाश नियंत्रण;
- (v) श्रोत्र दक्षता और नियंत्रण;
- (vi) भूसे द्वारा अनुमोदित अनुरूप उपकरण का उपयोग करके प्रस्तावित भवन के लिए ऊर्जा मॉडल परिणामों के साथ मिलान करने के लिए दस्तावेज पुनर्विलोकन के निष्कर्ष;
- (vii) रूपांकन चरण में अनुमानित ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात की जाँच करें; उपरोक्त मर्दों को सत्यापित और प्रमाणित करें;
- (c) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के परिशिष्ट-घ में निर्दिष्ट जाँच सूची को पूरा और सुधार सूची को निर्दिष्ट करें यदि भवन के प्रस्तावित रूपांकन के दस्तावेजों में अपर्याप्त जानकारी उपलब्ध है या ये नियमों की अपेक्षाओं को पूरा नहीं करते हैं और ये होंगे—
- (i) अधिकारिता के प्राधिकारी के लिए सूचना के अधीन भवन में मालिक हेतु प्रारूप-2 में अपने निष्कर्षों का संप्रेषण;
- (ii) अपने निष्कर्षों को लागू करने के लिए प्रारूप-2 के अनुसार, स्वामी को निर्दिष्ट समय दें;
- (iii) स्वयं समाधान करें कि निर्दिष्ट समय के अंदर स्वामी से प्राप्त सुझाव, निष्कर्षों को पूरा करें और कमियों को पूरा करते हुए प्रारूप-2 में भरें;
- (d) उसकी स्वीकृति अभिलेख करें और संहिता और इन नियमों के अनुपालन की जाँच सूची को पूरा करें, और अधिकारिता के प्राधिकारी और राज्य नामित अभिकरण से सूचना के अधीन स्वामी को प्रारूप-2 में अनुमोदन का प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ निर्माण दस्तावेजों को विधिवत द्वारा स्वामी के हस्ताक्षर प्रस्तुत करेंगे;
- (3) अधिकारिता के प्राधिकारी से प्रस्तावित भवन के निर्माण के लिए परमिट के मुद्दे हेतु नियम-8(1) के अंतर्गत स्वामी से आवेदन प्राप्त करेंगे—
- (a) नाभिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) द्वारा अनुमोदन उपरोक्त प्रारूप-1 एवं प्रारूप-2 में प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही रूपांकन और स्वीकृति निर्माण योजना को मंजूरी;
- (b) सन्निर्माण कार्य को बनाने या पुनर्निर्माण करने या निर्माण में सुधार करने या निर्माण कार्यों का पूरा करने के लिए उसमें परिवर्तन करने के लिए जारी परमिट इसके स्वीकृति-पत्र में निम्नलिखित शर्तों के अधीन है, अर्थात्—
- (i) सन्निर्माण कार्य मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों के अधीन स्वीकृत योजना और अपेक्षा के अनुसार होगा;
- (ii) निर्माण प्रगति के दौरान इन नियमों का अनुपालन प्राप्त किया जाए;
- (iii) स्वामी को अधिभोग प्रमाण-पत्र जारी करने से पहले भवन पर कब्जा नहीं किया जाए;
- (iv) अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा स्वामी को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद इन नियमों या संहिता के उपाबंधों के सम्बन्ध में किसी भी स्तर पर, नाभिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) से गैर-अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या आवेदन में वास्तविक तथ्यों की किसी भी गलत बयानी के नोटिस पर परमिट रद्द किया जा सके;

- (e) **भवन-** योजना के अनुमोदन के पूर्व, स्वामी द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी प्रारूपों (नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए) को मंजूरी देने से पहले राज्य नामित अधिकरण के साथ साझा करने की आवश्यकता है; उपरोक्त निर्दिष्ट दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में या हार्डकोपी रूप में राज्य नामित अधिकरण को प्रस्तुत की जाए;
- (d) अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा रूपांकन दस्तावेज पर अनुमोदन देने से पहले, विशिष्ट भवन पहचान संकेत (यूबीआईडी) उत्पन्न करना होगा एवं साथ-साथ उसकी प्रति स्वामी को अनुमोदित दस्तावेजों के साथ, राज्य नामित अधिकरण एवं सम्बन्धित विद्युत वितरण अनुज्ञापिका को प्रस्तुत करना होगा जो कि संलग्नक-घ के अनुसार होगा;
- (e) यदि किसी भवन का पुनर्विलोकन/पुनर्निर्माण किया जाने वाला हो और वह मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता में दिए गए प्रयोज्यों के अंतर्गत शामिल हो तो इस प्रक्रिया को उपयोग में लाना होगा।

निर्माणचरण (Construction Phase)

- (4) अधिकारिता के प्राधिकारी से निर्माण के लिए अनुमति प्राप्त करने पर स्वामी यह करेगा:-
 - (a) प्रारूप-3 में भवन के सन्निर्माण कार्य को शुरू करने के अपने आशय का नोटिस देना;
 - (b) नियम-8(1)(b) के निर्बंधन में निर्माण दस्तावेजों में निहित ऊर्जा संरक्षण उपायों का सन्निर्माण करना;
 - (c) ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात के अनुकूल करने के लिए इस तरह के घटकों और प्रणालियों में सर्वोत्तम प्रथाओं को लैनात करके ऊर्जा के सबसे प्रभावी उपयोग के लिए सन्निर्माण दस्तावेजों में शामिल भवन घटकों और प्रणालियों के निर्माण में ज़मीलापन हो;
 - (d) नियम-8(1)(b) निर्दिष्ट ऐसे सन्निर्माण का कार्य करने से पहले, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) से मंजूरी लेनी चाहिए यदि निर्माण किए जाने वाले प्रस्तावित घटक और प्रणालियाँ सन्निर्माण और अनुपालन दस्तावेज में शामिल किए गए हैं;
 - (e) जरूरत अनुसार नए स्थायी विद्युत संयोजन के लिए अभिप्राणित प्रतिलिपि "विशिष्ट भवन पहचान संकेत-प्रारूप" के साथ वितरण अनुज्ञापिका को आवेदन प्रस्तुत करें; स्वामी यदि अस्थायी संयोजन चाहते हैं तो "विशिष्ट भवन पहचान संकेत-प्रारूप" को वितरण अनुज्ञापिका को प्रस्तुति करने की आवश्यकता नहीं होगी;
- (5) नियम-6(1) के अनुसार प्रस्तावित भवन के निर्माण कार्य की पर्यवेक्षण पावती, अधिकारिता के प्राधिकारी को मिलने पर-
 - (a) यह सुनिश्चित करना कि स्वामी द्वारा प्रारूप-3 एवं प्रारूप-4 जो कि नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्राप्त किए गए हो;
 - (b) यदि प्रारूप-4 के अनुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता का अनुपालन न होने पर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति या राज्य नामित अधिकरण को तुरन्त सूचित किया जाए, ताकि निर्माण चरण के दौरान जरूरत अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सके;
 - (c) निर्माण चरण के दौरान मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुसार जमा किए गए सभी प्रारूपों को पौध कार्य दिवसों के भीतर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति या राज्य नामित अधिकरण के साथ साझा करना होगा; इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या हार्ड प्रति के द्वारा दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है;
 - (d) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) से गैर अनुपालन की स्थिति प्राप्त करने पर; इन नियमों में उल्लेखित स्वामी द्वारा साझा किए गए प्रारूप-4 के द्वारा। इन नियमों की तुलना में, अधिकारिता के प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जब तक सुधार प्रभावित नहीं हुआ है और अनुपालन का प्रमाण पत्र (प्रारूप-4) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षकों (भवन) द्वारा जारी ना किया गया हो; जब तक निर्माण कार्य को रोकना आवश्यक होगा;
- (6) विद्युत वितरण अनुज्ञापिका, स्वामी से नए-स्थायी या नवीकृत विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने पर, नीचे बताए गए मानकों की समीक्षा करें, तथा उनकी जाँच करें-
 - (a) नियम-8(3)(d) के अनुसार यूबीआईडी फॉर्म की एक प्रमाणित प्रतिलिपि को स्वामी से इकट्ठा करने की आवश्यकता है, और इसे अधिकारिता के प्राधिकारी से प्राप्त यूबीआईडी फॉर्म के साथ किया जाना चाहिए।
 - (b) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता अनुवर्ती किसी भी भवन के आवेदन के लिए अस्थायी कनेक्शन प्रदान करने के लिए किसी विशेष प्रकार के दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है, खासकर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुसार; यद्यपि अस्थायी कनेक्शन से स्थायी कनेक्शन के रूपांतरण पर मालिक से अनुरोध प्राप्त करने पर नियम-8(3)(d) के अनुसार आगे बढ़ना होगा।
- (7) सन्निर्माण चरण पर नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), नियम-8(2) में विनिर्दिष्ट मापदण्डों के विनिर्देशों की पुनर्विलोकन करेंगे, और-
 - (a) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के परिशिष्ट-घ में निर्दिष्ट जाँच सूची को भरें, टिप्पणियाँ प्रदान करें यदि भवन की प्रस्तावित रूपांकन निर्माण आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं और संहिता इन नियमों और स्वीकृत योजना के अनुपालन में कमियों को निर्दिष्ट करता है और ये करेगा-
 - (i) कमियाँ और निष्कर्ष स्वामी को संप्रेषित करना;
 - (ii) निष्कर्षों को लागू करने के लिए स्वामी को निर्दिष्ट समय दे;
 - (iii) स्वयं समाधान करें कि उसके बाद स्वामी से प्राप्त सुझाव के निर्दिष्ट को पूरा करेगा और कमियों को पूरा किया जाएगा;
 - (b) स्वयं स्वीकृति अभिलेख करें और जाँच सूची को पूरा करें जो संहिता और इन नियमों का अनुपालन दर्शाता है, और अधिकारिता के प्राधिकारी को सूचना के सहित स्वामी को प्रारूप-4 अनुपालन-पत्र का प्रमाण जारी करना;
 - (c) जहाँ यह किसी भी चरण पर आधारित किया जाता है कि निर्माण स्वीकृत योजना के अनुसार नहीं चल रहा है या मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों के किसी भी उपाबंधों का अतिक्रमण किया गया है, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी को सूचित करेंगे और अनुरोध करेंगे कि प्रारूप-4 के अनुसार अपने निष्कर्षों के सम्बन्ध में अतिरिक्त जानकारी के लिए या उनके द्वारा पहचानी गई कमियों को बताएँ;
 - (d) यदि नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त जानकारी से संतुष्ट है, वह प्रारूप-4 में अनुपालन के प्रमाण-पत्र में इसे अभिलिखित करेगा और अधिकारिता के प्राधिकारी को सूचना के सहित स्वामी को सूचित करेगा;
 - (e) यदि नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी द्वारा जमा की गई अतिरिक्त जानकारी से सहमत नहीं होता है तो वह अधिकारिता के प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आगे के निर्माण को स्थगन कर दिया गया है जब तक कि सुधार नहीं किया जाता और इसका अनुपालन प्रमाण नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा जारी किया गया है;

निर्माण परचाय चरण (Post-Construction Phase)-

- (8) प्रत्येक स्वामी भवन के पूरा होने की सूचना को कार्य के पूरा होने पर अधिकारिता के प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, जिसमें मंजूर किए

परमित में निर्दिष्ट ऊर्जा संरक्षण उपायों के साथ-साथ प्रारूप-3 में प्रमाण-पत्र के साथ जारी किए गए कार्यों सहित नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) स्वामी द्वारा अनुपालन करने के लिए प्रमाणित किया जाएगा-

- (a) अधिभोग चरण के दौरान नियम-6(2) के अनुसार प्रारूप-4 के साथ-साथ नियम में दी गई सूचीयों का अनुपालन निम्नलिखित घटकों को शामिल किया जाना आवश्यक है-
- हाप, संवातन और वातानुकूलन तालिकाओं का पुनर्विलोकन; वायु संचालन उपकरण, प्रशीतन उपकरण, संघनक उपकरण; प्रकाश उपकरण विशिष्टियों दर्शाते वाली तालिकाओं और मोटर विशिष्टियों को प्रदर्शित करने वाली सारणियों को पुनर्विलोकन;
 - रोशनी के उपकरण जैसे लैम्पों, बालास्ट के निरीक्षण द्वारा फ्ल्यूरोस्कोप की वॉट क्षमता की पुष्टि और निरीक्षण में प्रकाश चादर घनत्व को निर्धारित करने के लिए भवन में उपयोग के प्रकार के अनुसार कम से कम वादृच्छिक जीव शामिल होंगी;
 - आवश्यक प्रकाश नियंत्रक का पुनर्विलोकन करना, जैसे पुस्तिका स्विच ऑफ फेरीमीटर, दिन के प्रकाश सर्किट, स्वचालित अधिभोग आधारित नियंत्रक, फाटो सेंसर नियंत्रक और स्वचालित टाईमर आधारित नियंत्रक;
 - स्थापित ऊर्ध्व, संवातन और वातानुकूलन उपकरण और नियंत्रक उपकरण के निष्पादन मूल्यों के गुणांक का पुनर्विलोकन;
 - स्थापित मोटर और नियंत्रक की दक्षता का पुनर्विलोकन;
 - विद्युत कारक और बिजली वितरण नुकसान का पुनर्विलोकन;
 - आवश्यक जॉब मीटरिंग और निगरानी प्रणाली का पुनर्विलोकन।
- (b) प्रस्तावित रूपांकन में ऊर्जा संबंधी भवन की सुविधाओं की सूची, यदि कोई हो, जो स्वीकृत या मानव आधारभूत रूपांकन से भिन्न होती है;
- (c) भवन के उष्णरोधक, गवाक्षिकरण, हीटिंग, संवातन और वातानुकूलन, लाइटिंग और इलेक्ट्रिकल सिस्टम, वॉटर हीटिंग प्रणाली सभी ऊर्जा संरक्षण उपायों के संबंध में किए गए निर्माण के समर्थन में सभी दस्तावेज और चालान।
- (9) भवन स्वीकृति योजना अनुसार पूरा होने पर ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से कम या बराबर है, तो इसे संहिता और इन नियमों का पालन करना समझा जाएगा।
- (10) यदि ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात में कोई विचलन आता है तो यदि भवन के स्वीकृत योजना के अनुसार मानक भवन की तुलना में ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से ज्यादा होता है तो नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक प्रारूप-4 में इसे दर्ज करेगा और इस बारे में भवन स्वामी से संवाद करेगा और अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण के उपायों का समावेश करके अनुपालन को प्राप्त करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित भवन इस नियम का अनुपालन करे, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक भवन स्वामी को तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।
- (11) जब तक अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा इस भवन या इसके हिस्से को उप-नियमों के अनुसार अधिभोग प्रमाण-पत्र नहीं दिया जाता, तब तक स्वामी न तो भवन या भवन संकुल का उपयोग कर सकेगा और न ही किसी भी व्यक्ति को किसी प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन भवन या भवन संकुल के हिस्से का उपयोग, करने की अनुज्ञा देगा।
- (12) स्वामी भवन के पूरा होने का नोटिस देगा और अधिभोग के लिए अनुज्ञा प्राप्त करेगा।
- (13) अधिकारिता के प्राधिकारी को स्वामी द्वारा सूचना मिलने पर जो कि नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के द्वारा अनुमोदित प्रमाण-पत्र के साथ संलग्न हो, तो अधिभोग प्रमाण-पत्र को प्रारूप-5 के साथ जारी कर सकता है जो कि निम्नलिखित स्थितियों को भी दर्शाएगा-
- भवन के ऊर्जा निष्पादन की निगरानी और सत्यापन सम्बन्धित राज्य की ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा की जाएगी;
 - स्वामी नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा भवन के पूरी तरह से चालू होने के बाद लगातार दो वर्षों तक ब्यूरो को सूचना के अधीन परिशिष्ट-3 के अनुसार एक ऊर्जा निष्पादन सूचकांक रिपोर्ट, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के माध्यम से राज्य नामित अधिकरण को प्रस्तुत करेगा;
- (14) अतिरिक्त तौर पर भवन के संचालन होने तक, राज्य नामित अधिकरण द्वारा इसकी ऊर्जा प्रदर्शन की निगरानी की जाएगी, रूपांकन चरण के अंत में अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा प्रदान की गई प्रासंगिक विशिष्ट भवन पहचान संकेत के लिए वितरण लाइसेंस धारी से संबंधित विवरण एकत्र करने के लिए उत्तरदायी होगा; जबकि बहुकिरायेदारों के मामले में मालिकों या एकाधिक, इन नियमों की नियम-8(10) या नियम-11(4) के अनुसार ऊर्जा की खपत निगरानी का पता लगाया जाएगा जो कि परिशिष्ट-3 के अनुसार अभिलेख होगा;
- (15) यदि भवन का ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से अधिक है, तो अधिकारिता के प्राधिकारी एक अस्थायी अधिभोग प्रमाण-पत्र इस शर्त के अधीन जारी कर सकता है कि स्वामी मंजूरी की गई योजना या परमित में भवन के ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात अंजित करने के लिए मंजूरी के तीन वर्ष की अवधि के अंदर भवन के ऊर्जा परीक्षण के लिए अतिरिक्त ऊर्जा संरक्षण उपायों की पहचान करने के लिए भवन का ऊर्जा परीक्षण कराएगा;
- (16) यदि स्वामी, एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-3 में निर्दिष्ट ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात को प्राप्त करने में विफल रहता है तो भवन के अधिग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के अंदर राज्य नामित अधिकरण, मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति के समक्ष मामला रखेगा, जो, स्वामी और नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सुनवाई करेगा और इसके अनुसार मामले सिफारिश करेगी, और स्वामी इस तरह की अनुशंसाओं का पालन करेगा।
- (17) राज्य नामित अधिकरण, मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति या स्वयं, नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सहायता से भवन के ऊर्जा अंकेक्षण का संचालन करेगा। वादृच्छिक जीव के लिए विधि तैयार की जाएगी और सार्वजनिक रूप से साझा की जाएगी;
- (18) अगर कोई गलत सूचना या अप्रियत पाया जाता है, तो उसे मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुरूप मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति को सूचित किया जाएगा जो आगे की कार्यवाही करेगी।
- (19) यह प्रक्रिया तब तक बास-बार दोहराई जाएगी जब तक कि भवन का ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात एक से कम या एक के बराबर नहीं हो जाता। और नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के परिशिष्ट-घ में निर्दिष्ट अनुसार प्रत्येक चरण में मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों के अनुरूप विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों में, रूपांकन, निर्माण और पूरा करने के लिए, प्राप्ति करने के लिए अनुपालन दस्तावेजों को भरेंगे और जमा करेंगे।

- (1) इन नियमों के उपाबंधों के अधीन स्वामी/नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत

निष्पन्न समिति के पास किसी भी शिकायत को निवारण के लिए सम्पर्क कर सकता है--

- (a) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति राज्य नामित प्राधिकरण/अधिकारिता के प्राधिकारी के साथ, स्वामी या नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा शिकायतों की सुनवाई उपरान्त शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक कदम उठाने हेतु जिम्मेदार होगी। जिसकी सूचना मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति को भी दी जाएगी।
- (b) राज्य नामित प्राधिकरण के मध्यप्रदेश साथ ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता तकनीकी शिकायत निवारण समिति, अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा भवन अनुज्ञापत्र के निरस्तीकरण या भवन के समापन अथवा अधिनोप प्रमाण-पत्र जारी करने के विरुद्ध, किसी भवन के स्वामी द्वारा दायर की गई समीक्षा याचिका की सुनवाई 46 दिन के भीतर निम्न प्रकरणों में करेगा, अर्थात्:
 - (i) किसी विवाद के संबंध में इन नियमों के प्राक्कानों की व्याख्या के बारे में;
 - (ii) स्वीकृत रेखांक में अनुमोदित ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात के गैर-अनुपालन के कारण समापन या अधिनोप प्रमाण-पत्र जारी न किये जाने पर;
 - (iii) इन नियमों के अंतर्गत किसी अतिरिक्त कारण से यदि कार्य समापन होने की स्थिति में ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात का अनुपालन न होने पर;
 - (iv) इन नियमों के अंतर्गत शामिल किया गया अन्य कोई विषय जिसके कारण ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात की प्राप्ति समापन स्तर पर नहीं की जा सकती है;
- (2) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यान्वयन समिति या राज्य सरकार के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यान्वयन समिति से पहले एक अपील कर सकता है, जिस पर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन कार्यान्वयन समिति द्वारा दिए गए आदेश की एक प्रति व्यक्ति द्वारा प्राप्त की जाती है।
- (3) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा पारित किया गया निर्णय अथवा आदेश पूर्ण रूप से अंतिम होगा।

8 स्वामी की जिम्मेदारियाँ और कर्तव्य (ROLE AND RESPONSIBILITIES OF OWNER)

- (1) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के अनुपालन वाले भवन के स्वामी को मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता की आवश्यकताओं और इन नियमों के अनुसार भवन का निर्माण कराना होगा।
- (2) प्रत्येक स्वामी को --
 - (i) इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करने और निम्नानुसार सुनिश्चित करने के लिए भवन निर्माण रूपांकन, ऊर्जा संरक्षण उपायों और उपकरणों की स्थापना के लिए पैनाल में तैनात नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को, अर्थात्--
 - (a) भवन, बजट और समय की बाधाओं की जटिलता के आधार पर अपनी भवन परियोजना के लिए अनुपालन विधि को अंतिम रूप देना;
 - (b) प्रस्तावित भवन में ऊर्जा संरक्षण उपायों को इन नियमों के अनुरूप उपयोग करना;
 - (c) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार भवन रूपांकन में ऊर्जा संरक्षण उपायों को एकीकृत करना;
 - (d) अपेक्ष, विशिष्टियों और अनुपालन प्रारूप तैयार है और ऊर्जा संरक्षण उपायों को भवन रूपांकन के दस्तावेजों में प्रतिबिम्बित किया गया है, और अधिकारिता के प्राधिकारी को नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में प्रस्तुत किया गया है, और इसके साथ नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा ऊर्जा निष्पादन सूचकांक अनुपात को एक प्रमाण-पत्र द्वारा निर्दिष्ट कराना होगा कि दस्तावेज इन नियमों की आवश्यकता के अनुसार है;
 - (e) यह सुनिश्चित करना कि निर्माण स्थल पर निर्माण कार्य शुरू करने के पहले, स्वीकृति की वैधता के अनुरूप, अधिकारिता के प्राधिकारी को नोटिस भेजा गया है;
 - (f) नोटिस की तारीख से, अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट अवधि के अंदर काम आरम्भ करना, या जहाँ भी आवश्यक हो, वहाँ निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए अधिक समय की अनुमति लेना;
 - (g) यह सुनिश्चित करना कि भवन के निर्माण और उसके घटकों और प्रणालियों की स्थापना में रूपांकन किए गए ऊर्जा संरक्षण उपाय अपनाए गए हैं।
 - (ii) अधिनियम के अधीन नियमों और विनियमों के साथ निर्माण कार्यों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण के प्रयोजन के लिए किसी भी उचित समय पर भवन या परिसर में प्रवेश करने के लिए नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) को अनुज्ञा है;
 - (iii) अधिकारिता के प्राधिकारी को लिखित सूचना देना, जिसमें नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) से एक प्रमाण-पत्र के साथ निर्माण कार्य को पूरा करने के बारे में सूचित किया जाता है कि--
 - (a) भवन का निर्माण भवन परमिट की मंजूरी के अनुसार किया गया है;
 - (b) सभी ऊर्जा संरक्षण उपायों को स्थापित कर निरीक्षण किया गया है, और वे मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं;
 - (c) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के प्राक्कान और ये नियम भवन की रूपांकन को पूरा करते हैं;
 - (iv) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की सेवाओं की समाप्ति और इनके स्थान पर अन्य किसी नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की नियुक्ति के मामले में अधिकारिता के प्राधिकारी और राज्य नामित अभिकरण को लिखित सूचना देनी चाहिए;
 - (v) भवन के पूर्ण निर्माण होने के पश्चात, उसके किसी हिस्से का उपयोग करने से पहले अधिकारिता के प्राधिकारी से एक अधिग्रहण का परमिट प्राप्त करना;
 - (vi) इन नियमों के उपबंधों को पूरा करने में नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), यदि कोई हो, के पास व्यावहारिक कठिनाइयों की रिपोर्ट करें, जो राज्य नामित अभिकरण और मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति के परामर्श में आवश्यक कार्यवाही करेगा;
 - (vii) मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति या अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा नोटिस की प्राप्ति होने पर, यदि कोई हो, तो, नोटिस में दिए गए निर्देशानुसार उचित समय के भीतर भवन का उपयोग बंद कर देना होगा, और किसी भी किसी भी तरह से इन नियमों के उपबंधों की उल्लंघन नहीं करेगा;
 - (viii) जहाँ वह प्रणाली, सामग्री या उपकरण के विपरीत भवन की ऊर्जा दक्षता में सुधार के कारण किसी भी प्रणाली या सामग्री या उपकरणों की स्थापना को बदलने का प्रस्ताव करता है, जैसा कि स्वीकृति योजना में बताया गया है, वह नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ऐसी प्रणाली या सामग्री या उपकरण का इस्तेमाल करेगा या स्थापित करेगा;

- (9) यदि कोई भवन/भवन-संकुल नियम-3 के प्रयोज्यताओं के अंतर्गत आता है, और एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2.6(g) के अनुसार मिश्रित-उपयोग के रूप में किया जाता है तब भवन के लिए ऊर्जा खपत का अनुभ्रवण नियम-11(3) के अनुसार की जाना होगा जबकि मासिक ऊर्जा खपत का प्रत्येक किरायेदार(ओं) के लिए अलग से अनुभ्रवण करना होगा, जिसके लिए स्वामी को -
- ऊर्जा खपत के अनुभ्रवण हेतु प्रत्येक किरायेदार(ओं) के लिए उप-मापयंत्र प्रदान करना होगा;
 - मासिक ऊर्जा खपत को उप-मापयंत्र के माध्यम से अनुभ्रवण कर अभिलेख करना होगा;
 - बहुसंख्यक किरायेदारों की मासिक ऊर्जा खपत के प्रलेख का संचारण करना होगा जो कि निम्नानुसार होगा-
 - बहुसंख्यक किरायेदार पहचान संकेत को विशिष्ट भवन पहचान (यूबीआईडी) के बाद Mn(k) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात् (UBID-Mn(k)); जहाँ Mn = M1, M2, M3 & M4,... भवन में संभावित किरायेदार का सरल क्रमांक है, तथा K = मापयंत्र क्रमांक है जिसे प्रत्येक किरायेदार को आर्बिट्ररी किया जाएगा;
 - इसके अतिरिक्त, भवन स्वामी को पट्टाविलेख में प्रत्येक किरायेदारों के लिए उप-मापयंत्र एवं ऊर्जा खपत का विश्लेषण करना होगा;
 - जब कभी भी संलग्नक-1 में उल्लेखित प्रपत्र के अनुसार आवश्यक हो, प्रत्येक किरायेदार की विद्युत खपत के खोज विलेख (Tracked Record) को राज्य नामित अभिकरण या मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति को प्रस्तुत करना/साझा करना होगा (यह व्यवस्था भवन का उपयोग करने वाले बहु-किरायेदारों के संबंध में की जाएगी) इसका विस्तृत व्याख्यान हेतु निम्न प्रक्रिया के अनुसार संदर्भित है:-
 - कोई भी भवन जिसे बहुसंख्या में किरायेदारों द्वारा उपयोग में लाया जाना अपेक्षित हो, के स्वामी को अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा भवन रेखाओं के अनुमोदन के साथ विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) (XXXX/ECBC) प्रदान किया जाएगा;
 - जब बहुसंख्यक किरायेदार उपमापयंत्र संयोजन की मींग करेंगे तो भवन स्वामी विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) के प्रत्येक Mn(k) को इसमें जोड़ देगा जिसे प्रत्येक किरायेदार के लिए (UBID-Mn/Meter no.) अंकित किया जा सकता है;
 - विद्युत खपत का अनुभ्रवण सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग उपकरण (नियमित अनुभ्रवण या मापन हेतु) द्वारा प्रारंभ से लेकर अंत तक किया जा सकता है; या
 - यदि इसे हस्तमालित व्यवस्था द्वारा किया जाता है तो उसे खपत के विवरण संकलित करते समय प्रत्येक उप-मापयंत्र के छायाचित्र (फोटो) का अभिग्रहण मय किरायेदार हस्ताक्षर के करना होगा (यहाँ उसे यह भी निश्चित करना होगा कि प्रत्येक मापयंत्र (मीटर) जिसकी विद्युत खपत नोट की गई है उसका छायाचित्र में अंकित वाचन से मिलान हो);

परन्तु यह इन नियमों के प्रावधानों की भावना और आशय का अतिक्रमण न करता हो; तथापि इस तरह के परिवर्तन से भवन की आवश्यकताओं के साथ समझौता नहीं किया जाएगा जैसे इन नियमों के अधीन आने वाली भवनों पर लागू केंद्रीय विधि (कानून) और राज्य विधि (कानून) के संरचनात्मक स्थिरता, सुरक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण के प्रावधान।

9 नाभिकारण ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) की भूमिका, जिम्मादारियों और कर्तव्य (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF ERA-(BUILDING))

नाभिकारण ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), जिनकी सेवाएँ स्वामी द्वारा नियुक्त की गई हैं-

- यह सत्यापित और प्रमाणित करेंगे-
 - रूपांकन मानदंड, परियोजना के ऊर्जा लक्ष्यों, ऊर्जा प्रणालियों के निष्पादन सत्यापन योजना और मॉडलिंग विधि को ध्यान में रखते हुए भवन का रूपांकन;
 - विद्युताधीन परियोजना के लिए रूपांकन विधि के आधार पर ऊर्जा संरक्षण उपाय;
 - निर्माण दस्तावेज और अनुपालन दस्तावेज, अनुपालन प्रारूप और जाँच सूची, जो यह सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट हैं कि मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों का अनुपालन किया जाता है;
 - प्रस्तावित भवन का ऊर्जा निष्पादित सूचकांक अनुपात;
- अपने मुहर के अधीन एक प्रमाण-पत्र और अधिकृत हस्ताक्षर को इस आशय के अनुसार प्रस्तुत करें कि रेखाचित्र, निर्दिष्टों, निर्माण दस्तावेजों, अनुपालन दस्तावेजों और प्रारूप आवरण, आराम प्राणाली और नियंत्रक, प्रकाश व्यवस्था और विद्युत पावर प्राणालियों, जहाँ कहीं भी लागू हो, और अन्य, मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता एवं इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के अधिकारिता के प्राधिकारी को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किए गए संबंधित दस्तावेज;
- भवन निर्माण कार्यों से इन नियमों के अधीन अपने प्रयोगों सहित भवनों के बालू अवस्था और उनके प्रमाण के आधार पर निरीक्षण करना, अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा भवन परमिट जारी किया जाएगा, भवन निर्माण, निर्माण पूर्णता और अधिभोग प्रमाण-पत्रों को नज़ूदी दी जाएगी;
- नाभिकारण ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन), यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन काम कर रहे कर्मचारियों में से कोई भी, इन नियमों के अधीन, संबंधित भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण में किसी तरह से प्रवृत्त नहीं है; ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अधिकारिता के प्राधिकारी के हितों के साथ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के साथ हितों में कोई विवाद नहीं है;
- भवन परमिट या भवन निर्माण या अधिभोग चरण के दौरान जारी होने के कारण उठने वाले ऐसे असामान्य तकनीकी मुद्दों पर राज्य नामित अभिकरण को रिपोर्ट करना;
- मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता और इन नियमों के बेहतर कार्यान्वयन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय और, राज्य और, मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति को निर्दिष्ट्यों प्रदान करना;
- संहिता में निर्दिष्ट मानदंडों और मानकों को बढ़ावा देना;

10 राज्य नामित अभिकरण के उत्तरदायित्वों और कर्तव्य (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF STATE DESIGNATED AGENCY)

अधिनियम की धारा 15 की धारा (घ) के अधीन प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा स्थापित राज्य नामित अभिकरण, भूरो के परामर्श से;

- राज्य के अधिनियम अधीन ऊर्जा के दक्ष उपयोग और इसके संरक्षण के लिए संहिता और इन नियमों के उपायों का समन्वय, विनियमन और लागू करेगा;
- वाणिज्यिक भवन या प्रतिष्ठान को एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2 (सीमा क्षेत्र) में परिभाषित, संयोजित भार अथवा संविदा मींग के आँकड़ों के बराबर या अधिक होने पर, इन नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करना होगा;
- नाभिकारण ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के कार्य कौशल की निगरानी करना ताकि इनके गुणवत्ता, स्थिरता और इन नियमों के अनुपालन

- की दर में सुधार हो जो कि राज्य में निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा ख़ाता को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी साबित हो;
- (4) संहिता में शिकायतों की अनुपालन दर को मापने के लिए राज्य में एक डेटा बैंक बनाना और इन नियमों के अनुपालन के परिणामस्वरूप ऊर्जा बचत के लिए सही तरीके से हिसाब रखना;
 - (5) राज्य में प्रत्येक श्रेणी के लिए गर्म और शुष्क, मिश्रित और अलग-अलग क्षेत्रों के अधीन भवन के क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर ऊर्जा उपयोग एक डेटा बैंक बनाना;
 - (6) अपने राज्य में विभिन्न श्रेणियों की भवनों के निर्माण में इन नियमों का अनुपालन करने के लिए ऊर्जा व्यूरो सूचकांक बनाने के लिए आवश्यक क्वचन सठाना और विभिन्न प्रकार की भवनों के निर्माण के संबंध में ऊर्जा की खपत मानदंडों और मानकों के निर्माण के लिए व्यूरो को अपनी सिफारिशें भेजना;
 - (7) राज्य में नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा रिपोर्टिंग की सटीकता को निर्धारित करने के लिए यदि आवश्यक हो, तो भवन निरीक्षण की व्यवस्था करना या अन्य सलाहकार के द्वारा करवाना ;
 - (8) नियम-3(b) की अवश्यकताओं के अनुसार जॉबों के लिए भवन निरीक्षण का संचालन करना होगा, एवं स्वामी द्वारा प्राप्त किए गए घोषणा पत्र पर मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदन साझा करवाए;
 - (9) नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) के कार्य कौशल का व्यूरा, इन नियमानुसार परियोजनाओं की सूची, इन नियमों के अनुपालन का अतिक्रमण करने वाली परियोजनाओं की सूची तथा इसके स्तर का व्यूरा, एवं इन सभी का सारांश प्रतिवर्ष व्यूरो संघ साझा करना होगा।
 - (10) संहिता और इन नियमों के अनुपालन के भवनों के निर्माण के उद्देश्य के लिए इन नियमों के उपाबंधों को शामिल करने के लिए अधिकारिता के प्राधिकारी के साथ समन्वय बनाना;
 - (11) इन नियमों के अनुपालन में भवनों की ऊर्जा निष्पादन सूचकांक में सुधार के लिए ऊर्जा संरक्षण उपायों और अधिग्रहण सहित रूपांकन निर्माण से सम्बंधित मामलों में इन नियमों के उपाबंधों के अनुरूप अधिकारिता के प्राधिकारी को आवश्यक सहयोग प्रदान करना;
 - (12) इन नियमों के प्रायधानों के अनुरूप विद्युत वितरण अनुज्ञापिधारी या विद्युत नियामक आयोग को तकनीकी सहायता प्रदान करना, विशेष रूप से एमपी-ईसीबीसी के अनुरूप भवनों और अनुपालन में प्रभावशीलता के ऊर्जा प्रदर्शन में सुधार के लिए भवन की ऊर्जा खपत की निगरानी और परिसंचरण करना;
 - (13) नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) के राज्य स्तरीय परीक्षा प्रमाणन के सञ्चालन के लिए बोर्डई से समन्वय स्थापित करना या सुविधा देना एवं नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) का राज्य में सशक्तिकरण का सञ्चालन करना;
 - (14) राज्य सरकार के साथ निम्न पहलुओं को सुनिश्चित करने हेतु पारस्परिक क्रिया करेगा ताकि—
 - (1) इन नियमों को राज्य नगरपालिक प्राधिकरण या विकास अभिकरण या अन्य नगरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय जो राज्य में भवन निर्माण गतिविधियों से संबद्ध हैं, के भवन निर्माण उपनियमों का भाग बनया जाए; तथा
 - (2) इन नियमों के प्रवर्तन में इन नियमों के उल्लंघन अथवा गैर-अनुपालन के प्रकरण में भवन स्वामी द्वारा लागू आबंधों का अनुपालन न करने पर अर्धवण्ड आरोपित किए जायेंगे;
- 11 विद्युत वितरण अनुज्ञापिधारी के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF DISTRIBUTION LICENSEE)**
- ईसीबीसी अनुरूप भवन के स्वामी को स्थायी विद्युत संयोजन (नया/नवीनीकरण) देने के लिए जिम्मेदार विद्युत वितरण अनुज्ञापिधारी, यह सुनिश्चित करेगा
- (1) विद्युत वितरण अनुज्ञापिधारी जो किसी संहिता अनुपालक भवन को स्थाई विद्युत संयोजन की स्वीकृति के बारे में उत्तरदायी है, यह सुनिश्चित करेगा कि वितरण अनुज्ञापिधारी नियम-3 (प्रयोज्यताएँ) के अनुसार पात्रता रखने वाले भवन स्वामी को स्थायी विद्युत संयोजन जारी (स्वीकृत) करने से पूर्व भवन स्वामी द्वारा प्रस्तुत विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID-Code) का मिलान, अधिकारिता के प्राधिकारी के अमिलेख में अंकित विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID-Code) से करें; एवं
 - नियम-3 (प्रयोज्यताएँ) के अनुस्रार पात्रता रखने वाले भवन स्वामी को स्थायी विद्युत संयोजन में परिवर्तन कि स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित करमा होगा की भवन स्वामी द्वारा प्रस्तुत आवेदन (विद्युत संयोजन हेतु) के साथ, नियम-3(b) के अनुसार मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति द्वारा अनुमोदित 'स्वामी का घोषणापत्र' संलग्न हो;
 - (2) भवन/भवन-परिसर के लिए जो आंशिक रूप से आवासीय संघ वाणिज्यिक, आवासीय संघ अस्पताल, उद्योग वाणिज्यिक, और अन्य के रूप में वर्गीकृत हैं तब भवन के क्षेत्र/स्थान का वर्गीकरण नियम-3 के अनुसार होने पर, ऊर्जा खपत का अनुभ्रवण नियम-11(4) के अनुसार करना होगा
 - (3) परिशिष्ट-3 में निर्दिष्ट अनुसार भवन/भवन-परिसर के उपभोक्ताओं के ऊर्जा खपत के आँकड़े नियमित रूप से राज्य नामित अभिकरण के साथ साँझा करें;
 - (4) यदि कोई भवन/भवन-परिसर नियम-3 के प्रयोज्यताओं के अंतर्गत आता हो, और एमपी-ईसीबीसी के अध्याय-2.5(G) के अनुसार मिश्रित-उपयोग के रूप में किया जाता हो; तब भवन के लिए ऊर्जा खपत का अनुभ्रवण नियम-11(4) के अनुसार किया जाना चाहिए; जबकि मासिक ऊर्जा खपत का प्रत्येक स्वामी(ओं) के लिए अलग से अनुभ्रवण करना होगा, जिसके लिए वितरण अनुज्ञापिधारी को —
 - 1) प्रत्येक स्वामी द्वारा ऊर्जा खपत का अनुभ्रवण करना होगा;
 - 2) भवन का मासिक ऊर्जा खपत को मापयंत्र के माध्यम से अनुभ्रवण कर अमिलेख करना होगा;
 - 3) बहुसंख्यक स्वामी(ओं) की मासिक ऊर्जा खपत के प्रलेख का संचारण करना होगा जो कि बहुसंख्यक स्वामी पहचान संकेत 'को विशिष्ट भवन पहचान (यूबीआईडी) के बाद Mn(k) के रूप में जोड़ा जाएगा, अर्थात (UBID-Mn(k)); जहाँ Mn = M1, M2, M3 & M4,... भवन में संभावित स्वामी(ओं) का सरल क्रमांक है, तथा K = मापयंत्र क्रमांक है जिसे प्रत्येक स्वामी(ओं) को आर्नटित किया जाना होगा ;
 - 4) परिशिष्ट -3 में उल्लेखित प्रपत्र के अनुसार, प्रत्येक स्वामी द्वारा ऊर्जा खपत के खोज विलेख (Tracked Record) को राज्य नामित अभिकरण या मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता कार्यान्वयन समिति को प्रस्तुत करना/साझा करना होगा (यह व्यवस्था भवन का उपयोग करने वाले बहु-किरायेदारों के संबंध में की जाएगी) इसकी विस्तृत व्याख्यान हेतु निम्न प्रक्रिया द्वारा संदर्भित की है:—
 - (a) कोई भी भवन जिसे बहुसंख्या स्वामी(ओं) द्वारा उपयोग में लाया जाना अपेक्षित हो, के स्वामी(ओं) को अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा भवन रेखांको के अनुमोदन के साथ विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) (XXXX/E/CBC) प्रदान किया जाएगा;
 - (b) जहाँ बहुसंख्यक स्वामी स्थायी विद्युत संयोजन की माँग करेंगे तो वितरण अनुज्ञापिधारी विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) के प्रत्यय Mn(k) को विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) के साथ जोड़ देगा, जिसे (UBID-Mn(k)) के रूप में प्रत्येक भवन स्वामी के लिये अंकित किया जाना होगा;
 - 5) यदि किसी भवन/भवन-संकुल को इन नियमों का पालन करने की आवश्यकता हो, एवं किरायेदारों की ऊर्जा खपत स्वामी

के अधिपत्य में हो, तो विद्युत वितरण अनुज्ञापिधारी नियम-11(3) के अनुसार केवल पूरे भवन के लिए ऊर्जा खपत का विवरण प्रदान करेगा।

12 अधिकारिता रखने वाले प्राधिकारी के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य (ROLES AND RESPONSIBILITIES OF AUTHORITY HAVING JURISDICTION)

- (1) यह सुनिश्चित करना कि विद्यमान भवन रूपांकन अनुमोदन प्रक्रिया में, भवन या भवन संकुल के निर्माण/पुर्ननिर्माण, इन नियमों के अधिसूचना के पश्चात् इसकी आवश्यकताओं को समाहित किया गया है;
- (2) यह सुनिश्चित करना कि मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के तहत हर भवन या भवन संकुल के अनुमोदन प्रक्रिया के दौरान विशिष्ट भवन पहचान संकेत (जैसे-ईसीबीसी) को प्रत्यय के रूप में जोड़ा जाए, जैसे की (XXXX/ईसीबीसी); तथा यह भी सुनिश्चित करें की नियम-8 के अनुसार सारे प्रारूप जमा होने के पश्चात्, विशिष्ट भवन पहचान संकेत अनुमोदन उपरांत साझा किया जाए;
- (3) यह सुनिश्चित करना कि भवन रूपांकन अनुमोदन के पूर्व नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए सारे एमपी-ईसीबीसी प्रारूप जमा किए गए हों;
- (4) यह सुनिश्चित करना कि नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा संहिता अनुपालक भवनों हेतु विभिन्न निर्माणक्रमों के दौरान अनुपालन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए गए हों;
- (5) निर्माणक्रम के दौरान नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखा परीक्षक (भवन) द्वारा जारी किये गये गैर-अनुपालन प्रमाण पत्र प्रकरण में जब तक भवन स्वामी द्वारा दोष निवारक उपाय न कर लिये जाएँ, अधिकारिता के प्राधिकारी को निर्माण कार्य स्थगित रखने का अधिकार होगा;
- (6) जैसे ही मध्यप्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता हेतु भवन रेखाओं के संबंध में अनुमोदन प्रदान किया जाए, विशिष्ट भवन पहचान संकेत उत्पन्न करते ही राज्य नामित अभिकरण एवं विद्युत वितरण अनुज्ञापिधारी को, अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर की एक-एक प्रतिलिपि इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम या कागजी-प्रति के द्वारा, 8 कार्य दिवस में साझा की जाए;

13 प्रोत्साहन (INCENTIVE)

यदि कोई भवन एमपी-ईसीबीसी के साथ अनुपालन करता है, तो भवन स्वामी को ऊर्जा दक्षता विध्यादन फसर के आधार पर प्रोत्साहन प्रमाणपत्र से सम्मानित किया जाएगा, जैसा कि एमपी-ईसीबीसी के धारा(1) के खंड(2) के तहत उल्लिखित है; जबकि, यदि किसी भवन की रूपांकन एवं निर्माण संहिता के नियमानुसार 'प्राकृतिक संवातित-भवन' या 'प्राकृतिक संवातित-आराम प्रणाली और नियंत्रण के मिश्रित भवन' के अनुरूप होता है, तो राज्य द्वारा भविष्य में किए जाने वाले प्रदर्शन या अनुसंधान कार्य में वरीयता मिलना संभव होगा, तथा भविष्य में किए जाने वाले आर्थिक प्रयोजन में भी वरीयता का मिलना तय होगा।

14 विधि-

- (1) किसी भी ऊर्जा संरक्षण उपायों या विधि या रूपांकन या निर्माण का उपयोग, विशेष रूप से इन नियमों के तहत निर्दिष्ट नहीं है, अधिकारिता के प्राधिकारी द्वारा रोका नहीं जाएगा, अगर ऐसे ऊर्जा संरक्षण उपायों या विधि या रूपांकन या निर्माण एमपी-ईसीबीसी तकनीकी शिकायत निवारण समिति द्वारा संतोषजनक पाए जाते हैं; तथा ऐसे ऊर्जा संरक्षण उपायों या विधि या रूपांकन या निर्माण अपने अधिग्रहण पर ऊर्जा के उपयोग में ऊर्जा सूचकांक अनुपात का प्रदर्शन अनुकूलित करने में मालिक की सहायता करते हैं;
- (2) म.प्र-ईसीबीसी की कम से कम पाँच वर्षों में समय-समय पर समीक्षा की जाएगी, ताकि निर्दिष्ट मानकों के संशोधनों को निर्धारित करने के लिए, ब्यूरो की राय के अनुसार पुष्टि की जाएगी;
- (3) बशर्ते कि जहाँ भी ये नियम सुरक्षा, स्वास्थ्य या पर्यावरण कौड, या ऊर्जा दक्षता के मानक और उपकरण या उपकरणों के लिए लेबलिंग और भवनों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम के साथ संघर्ष में हैं और यदि वे आवश्यकता की तुलना में अधिक कड़े हैं, तो वे इन नियमों पर विजय प्राप्त करेंगे।

प्रारूप- I (FORM -I)

मद्र-ईसीबीसी अनुपालन भवन के प्रयोजन में भवित भवन/भवन संकुल का निर्माण अथवा विद्यमान भवन/भवन संकुल का पुनर्निर्माण (परिवर्तन या परिवर्तन) हेतु भवन निर्माण अनुज्ञा संबंधी आवेदन
(APPLICATION FOR BUILDING PERMIT FOR ERECTION OF NEW BUILDING OR RE-ERECTION OF EXISTING BUILDING (ADDITION / ALTERATION) INTENDED TO HAVE COMPLIANCE WITH MP-ECBC)

दिनांक : ___/___/___

प्रति,

पदनाम
संस्था का नाम
पता

विषय: मद्र-ईसीबीसी अनुपालन भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु आवेदन
स्थान का विवरण:

भूस्वामी का नाम: _____
आवेदन (सम्बन्धी) क्रमांक: _____
योजना: _____
शहर: _____
पिन कोड: _____

भवन प्रकार: _____
प्लॉट प्लॉक क्रमांक: _____
माली: _____
जिला: _____
प्लॉक क्रमांक: _____

महोदय,

मैं/हम अधोहस्ताक्षरकर्ता एतद् द्वारा मद्र-ईसीबीसी अनुपालन भवन के निर्माण/पुनर्निर्माण हेतु अपना प्रयोजन प्रस्तुत कर रहा हूँ/रहे हैं। मैंने/हमने नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक नियुक्त किया है जिनका नाम _____ एवं पंजीकरण क्रमांक (Registration No) _____ है। निम्न प्रासंगिक दस्तावेज संलग्न किये जा रहे हैं:

- (i) स्वीकृत भवन निर्माण संबंधी दस्तावेज एवं जाँच सूचियों (चेक लिस्ट) के साथ-साथ अनुपालन प्रवर्तन सम्पन्नित किया गया है, जैसा की मद्र-ईसीबीसी एवं मद्र-ईसीबीसी नियम में उल्लिखित है।
- (ii) नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) द्वारा हस्ताक्षरित प्रारूप-दो (FORM-II)। मैं/हम मानते हैं की प्रस्तावित भवन, रूपांकन, भवन निर्माण एवं विभागीय दस्तावेजीकरण एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम के अनुसार है एवं मैं/हम उन प्राक्कानों का पालन करने के लिए बाध्य हैं/हूँ। यदि मेरे द्वारा प्रदान किये गये तथ्यों में कोई भिन्नता आती है तो मैं/हम सम्बंधित अधिकारी को नुकसान की क्षतिपूर्ति करूँगा/करेंगे।

बध्तीय
भवन स्वामी का नाम
संगठन का नाम
(शहर एवं हस्ताक्षर)

प्रारूप- II (FORM -II)

अनुपालन एवं गैर-अनुपालन प्रमाण पत्र (Certificate of Compliance or Non Compliance)
(रूपांकन चरण)

दिनांक : ___/___/___

प्रति,

पदनाम
संस्था का नाम
पता

विषय: भवन/भवन संकुल हेतु अनुपालन का आह्वान
स्थान का विवरण:

भूस्वामी का नाम: _____
आवेदन (सम्बन्धी) क्रमांक: _____
योजना: _____
शहर: _____
पिन कोड: _____

भवन प्रकार: _____
प्लॉट प्लॉक क्रमांक: _____
माली: _____
जिला: _____
प्लॉक क्रमांक: _____

महोदय,

मैं _____, पंजीकरण क्रमांक (Registration No) _____ अधोहस्ताक्षरकर्ता, उर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (52, वर्ष 2001) के अन्तर्गत नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) हूँ एवं मैं रूपांकन से लेकर अधिभोग तक एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुपालित भवन की जाँच एवं सत्यापन के लिए अधिकृत हूँ।

रूपांकन चरण के दौरान मैंने एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम से सम्बंधित सभी जरूरी दस्तावेज का सूक्ष्म परिक्षण कर लिया है। मैं सुनिश्चित करता हूँ की जरूरी जाँच सूचियों, प्रारूपों एवं भवन निर्माण दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया गया है एवं आगे की प्रक्रिया के लिए भवन स्वामी को सीप दिया गया है।

मैं सत्यापित करता हूँ की एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम की जरूरत के अनुसार पूर्वोक्त प्रस्तावित भवन/भवन संकुल से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्वीकृत जाँच सूची, भवन निर्माण दस्तावेज परिशिष्ट (संख्या) के साथ संलग्न है।

अथवा

मैं सत्यापित करता हूँ की एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम की जरूरत के अनुसार पूर्वोक्त प्रस्तावित भवन/भवन संकुल से मुझे आपत्ति है। सम्बंधित जानकारीयों फॉर्म 2 में संक्षिप्त है, स्वीकृत जाँच सूची भवन निर्माण दस्तावेज परिशिष्ट (संख्या) के साथ संलग्न है।

(हस्ताक्षर)

नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) का नाम
पंजीकरण क्रमांक एवं सील

प्रतिलिपि : पदनाम, विभाग का नाम

फ़ॉर्म- III (FORM-III)

मप-ईसीबीसी अनुपालक भवन/भवन संकुल के निर्माण/पुनर्निर्माण प्रारंभ करने हेतु सूचना
(NOTICE TO INITIATE ERECTION/REERECTION FOR PROPOSED MP-ECBC COMPLIANT BUILDING/BUILDING COMPLEX)

दिनांक : ___/___/___

प्रति,

पदनाम
संस्था का नाम
पता

विषय: एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुपालित प्रस्तावित भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने हेतु

भवन/भवन संकुल का विवरण:

भूस्वामी का नाम: _____
आवेदन (सम्बन्धी) क्रमांक: _____
योजना: _____
शहर: _____
पिन कोड: _____

भवन प्रकार: _____
प्लॉट प्लॉक क्रमांक: _____
गली: _____
जिला: _____
ब्लॉक क्रमांक: _____

सहायक,

मैं/हम पूर्व में उल्लेखित भवन/भवन संकुल का भूस्वामी हूँ/हैं, परिशिष्ट _____ में संलग्न नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) द्वारा हस्ताक्षरित भवन निर्माण दस्तावेज प्रस्तुत कर रहा हूँ/हैं। पुनः मैं/हम, एम.पी.ई.सी.बी.सी. से सम्बंधित संलग्न दस्तावेज के लिए वचनबद्ध हूँ/हैं एवं यह सुनिश्चित करता हूँ/करते हैं की, भवन/भवन संकुल संलग्न दस्तावेज के आधार पर निर्मित होंगे। यदि कोई भी संलग्न जानकारी गलत पाई जाती है तो मैं/हम अधिकांशता के अधिकारी को हानी की क्षतिपूर्ति करूँगा/करेंगे।

प्रस्तावित भवन/भवन संकुल हेतु मैं/हम भवन निर्माण कार्य दिनांक _____ से प्रारंभ कर रहा हूँ/रहे हैं। अतः इच्छित भवन निर्माण कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करें।

ब्रह्मीय
नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन)
पंजीकरण क्रमांक _____
(मुहर एवं हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि : पदनाम, विभाग का नाम

फ़ॉर्म- IV (FORM-IV)

अनुपालन/गैर-अनुपालन प्रमाण पत्र
(CERTIFICATE OF COMPLIANCE OR NON-COMPLIANCE)

दिनांक : ___/___/___

प्रति,

पदनाम
संस्था का नाम
पता

विषय: एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुपालित/गैर-अनुपालित भवन/भवन संकुल हेतु प्रमाण पत्र

स्थान का विवरण:

भूस्वामी का नाम: _____
आवेदन (सम्बन्धी) क्रमांक: _____
योजना: _____
शहर: _____
पिन कोड: _____

भवन प्रकार: _____
प्लॉट प्लॉक क्रमांक: _____
गली: _____
जिला: _____
ब्लॉक क्रमांक: _____

सहायक,

मैं _____ पंजीकरण क्रमांक (Registration No) _____ उर्जा संग्रहण अधिनियम, 2001 (52, वर्ष 2001) के अन्तर्गत नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) हूँ एवं मैं रूपांकन से लेकर अधिभोग तक एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुपालित भवन की जाँच एवं सत्यापन के लिए अधिकृत हूँ।

निर्माणकार्य/अधिभोग चरण के दौरान मैंने एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम से सम्बंधित सभी जरूरी दस्तावेज का सूक्ष्म परिक्षण कर लिया है। मैं सुनिश्चित करता हूँ की जरूरी जाँच सूचियों, प्रारूपों एवं भवन निर्माण दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया गया है एवं आगे की प्रक्रिया के लिए भवन स्वामी को सौंप दिया गया है।

मैं सत्यापित करता हूँ की एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम की जरूरत के अनुसार पूर्वांक प्रस्तावित भवन/भवन संकुल में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। स्वीकृत जाँच सूची, भवन निर्माण दस्तावेज परिशिष्ट (संख्या) के साथ संलग्न हैं।

मैं सत्यापित करता हूँ की एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम की जरूरत के अनुसार पूर्वांक प्रस्तावित भवन/भवन संकुल से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सम्बंधित जानकारीयों फॉर्म 2 में संक्षिप्त हैं। स्वीकृत जाँच सूची भवन निर्माण दस्तावेज परिशिष्ट (संख्या) के साथ संलग्न हैं।

(हस्ताक्षर)
नामिकाबद्ध उर्जा लेखापरिक्षक (भवन) का नाम
(मुहर एवं हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि : पदनाम, विभाग का नाम

प्रकम- V (FORM-V)
कार्य पूर्ण होने की सूचना
(NOTICE FOR WORK COMPLETION)

दिनांक : ___/___/___

प्रति,

पदनाम
 संस्था का नाम
 पता

विषय: एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुपालित भवन/भवन संकुल के निर्माण /पुनर्निर्माण के पूर्ण होने का आश्वासन
 स्थान का विवरण:

भूखामी का नाम _____
 आवेदन (सम्बंधी) क्रमांक _____
 योजना _____
 शहर _____
 पिन कोड _____

भवन प्रकार _____
 प्लॉट प्लॉक क्रमांक _____
 मंजी _____
 जिला _____
 ब्लॉक क्रमांक _____

सहोदय,

श्री _____, पंजीकरण क्रमांक (Registration No) _____ अधोहस्ताक्षरकर्ता, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (52, वर्ष 2001) के अन्तर्गत नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखापरिक्षक (भवन) हूँ एवं मैं रूपांकन से लेकर अधिमोग तक एम.पी.ई.सी.बी.सी. अनुरूप भवन की जाँच एवं सत्यापन के लिए अधिकृत हूँ।

निर्माणकार्य चरण के दौरान मैंने एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम से सम्बंधित सभी जरूरी दस्तावेज का सूक्ष्म परिक्षण कर लिया है। मैं सुनिश्चित करता हूँ की विधिवत हस्ताक्षरित जाँच सूचियों, प्रारूप एवं भवन निर्माण दस्तावेजों का सत्यापन कर लिया गया है एवं इस कार्यकाल में संशोधन या गैर संशोधन के साथ रूपांकन एवं निर्माणकार्य चरण के दौरान प्रस्तुत कर दिया गया है।

पुनः मैं आश्वासन देता हूँ की एम.पी.ई.सी.बी.सी. एवं इसके नियम के अनुपालन के साथ रूपांकन एवं भवन निर्माण निष्पादित किया गया है एवं निर्माण कार्य दिनांक _____ को पूर्ण हो गया एवं आपसे निवेदन है की अधिमोग प्रमाण पत्र की प्रक्रिया प्रारंभ करे जैसा की भवन/भवन संकुल दिनांक _____ से स्थान का उपयोग करने के लिए तैयार है।

(हस्ताक्षर)
 नामिकाबद्ध ऊर्जा लेखापरिक्षक (भवन) का नाम
 (शहर एवं हस्ताक्षर)

प्रतिलिपि : पदनाम, विभाग का नाम

जाँच सूची
(Checklist)

मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के संस्करण के खण्ड-11 से या राज्य नामित अभिकरण द्वारा उद्यतन संस्करणों के अनुसार चेकलिस्ट को सँदर्भित किया जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता
(Madhya Pradesh Energy Conservation Building Code)

"मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता" का उद्यतन संस्करण देखें, जिसे क्षेत्रीय और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों के अनुरूप मध्य प्रदेश राज्य के लिए राज्य मानित अभिकरण द्वारा संशोधित किया गया है।

मध्य प्रदेश राज्य का जलवायु संबंधी वर्गीकरण
(Climatic Classification of Madhya Pradesh)

मध्य प्रदेश की जलवायु परिस्थितियों के वर्गीकरण हेतु कृपया मध्य प्रदेश ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता के संस्करण के खण्ड-11 को देखें।

अनुलग्नक-1 (ANNEXURE-I)

ऐसे विभाग जिनका मंत्र-ऊर्जा संरक्षण संहिता के अन्तर्गत अपनी भूमिका तथा उत्तरदायित्व है, के बारे में प्ररूप की प्रस्तुति (Per submittal for Departments having their Rules and Responsibilities in MP-ECBC)

निम्न प्ररूप को को क्षेत्राधिकार धारक अधिकारी (AUTHORITY HAVING JURISDICTION) द्वारा करा जाएगा तथा इसे मंत्रकविनिलि तथा विद्युत वितरण अनुज्ञापिका (DISTRIBUTION LICENSEE) के साथ ई-मेल द्वारा साझा किया जाएगा। विलेख का अनुमोदन किये जाने पर (जिसे तत्क्षण साझा किया जाना चाहिए) मय आधिकारिक पत्र के साथ भी सुसंबद्ध विभागों को प्रेषित किया जायेगा।

मंत्र-ईसीबीसी नियमों के अनुसार इसे क्षेत्राधिकार धारक अधिकारी द्वारा करा जाए

संरल क्रमांक	विवरण	विवरण
1	विशिष्ट भवन पहचान संकेत (Unique Building Identification-Code)	XXXXX
2.1	भवन का संयोजित भार (Connected Load of Building)	100 किलोवाट (kW) या इससे अधिक
2.2	अथवा भवन की संविदा मांग (Or Building Contract Demand)	120 किलोवाट एम्पीयर (kVA) या इससे अधिक
3	भवन प्रकार (Building Type)	एकल स्वामित्व (Single Owned), अन्तर्भाग तथा ढाँचा (Core and Shell) अथवा मिश्रित उपयोग (Mixed-use)
4	प्रयोज्यता, मंत्र-ईसीबीसी नियमों के अनुसार धारा 3.2 के अनुसार भवन का वर्गीकरण (Building classification as per § 3.2, Applicability, MP-ECBC Rules)	आतिथ्य सत्कार (Hospitality), स्वास्थ्य देखभाल (Health Care), सम्मेलन भवन (Assembly), व्यावसायिक/व्यापारिक (Business), और अन्य (others)
5	भवन का कुल निर्मित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (Total Building Built-up Area (In sq.m.))	
6	धारा 3.2, प्रयोज्यता, मंत्र-ईसीबीसी नियमों के अन्तर्गत भवन का कुल क्षेत्रफल (Total Building Area under §3.2, Applicability, MP-ECBC Rules)	धारा 3.2, प्रयोज्यता, मंत्र-ईसीबीसी नियमों के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग हेतु (वाणिज्यिक भवनों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के लिये नहीं)
7	धारा 3.2 प्रयोज्यता, मंत्र-ईसीबीसी नियमों के अन्तर्गत कुल तल संख्या (No of floor under §3.2, Applicability, MP-ECBC Rules)	धारा 3.2, प्रयोज्यता, मंत्र-ईसीबीसी नियमों के अनुसार वाणिज्यिक उपयोग हेतु (वाणिज्यिक भवनों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र के लिये नहीं)
8	भवन का कुल अनुकूलित क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (Total Conditioned Area of Building (In sq.m.))	
9	भवन का कुल गैर-अनुकूलित क्षेत्रफल (Total unconditioned Area of Building (In sq.m.)) (वर्गमीटर में)	
10	संभाग (Division)	
11	जिला (District)	
12	शहर/नगर/ग्राम (City/Town/Village)	
13	जलवायु वर्गीकरण (Climatic Classification)	उष्ण शुष्क मिश्रित जलवायु
14	अनुमोदन तिथि (Date of Approval)	
15	अधिकृत हस्ताक्षर (Authorized Signature)	
16		
17		

*उपरोक्त पत्र को एक प्रतिलिपि मय भवन रेखांकनों (BUILDING DRAWINGS) के अनुमोदन के मुद्रांकन तथा हस्ताक्षर के भवन स्वामी (OWNER) के साथ साझा की जाएगी/जानी चाहिए

निम्न प्ररूप (Form) को वितरण अनुज्ञापिका (DISTRIBUTION LICENSEE) अथवा भवन स्वामी (OWNER) द्वारा भरा जाए (नियम 8.9 एवं नियम 11.4 के अनुसार) अनुमोदन किये जाने पर इसे संचालन समिति (STEERING COMMITTEE MEMBER) के साथ ईमेल के माध्यम से स्थाई विद्युत संयोजन (PERMANENT ELECTRICAL CONNECTION) हेतु साझा किया जाना चाहिए (इसे तत्क्षण साझा किया जाए)

इसके अतिरिक्त नवीन स्थाई विद्युत संयोजन (NEW PERMANENT ELECTRICAL CONNECTION) हेतु आयेदन करते समय भवन स्वामी (OWNER) द्वारा पावती की प्रतिलिपि साझा की जानी चाहिए {जिसे प्रत्येक नवीन विशिष्ट भवन पहचान संकेत (UBID) के साथ प्रथम पत्र व्यवहार के दौरान केवल एक बार ही साझा किया जाना चाहिए}

संज्ञक क्रमांक	विवरण (Description)	एकल भवन स्वामी/बहुसंख्या में भवन स्वामियों हेतु (For Single Owner / Mn)	
1	विशिष्ट भवन पहचान संकेत (Unique building Identification-Code) {जिसका नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग द्वारा ईमेल/पत्र के साथ प्रतिपरीक्षण (cross-check) कर साझा किया जाना चाहिए}	XXXXX	अधिकतम अभिलेखित मांग (केवीए में) (Maximum Recorded Demand) (in KVA)
2	भवन का संयोजित भार (Connected Load of Building) (भवन स्वामी द्वारा साझा की गई पावती के अनुसार)	100 किलोवाट (kW) या इससे अधिक	
3	अथवा भवन की संविदा मांग (Building Contract Demand) (भवन स्वामी द्वारा साझा की गई पावती के अनुसार)	120 किलोवाट एम्पीयर (kVA) या इससे अधिक	
4	भवन प्रकार (भवन स्वामी द्वारा साझा की गई पावती के अनुसार)	एकल स्वामित्व (Single Owned), अन्तर्भाग तथा ढांचा (Core and Shell) अथवा मिश्रित उपयोग (Mixed-use)	
6	भवन वर्गीकरण (भवन स्वामी द्वारा साझा की गई पावती के अनुसार)	आतिथ्य सत्कार (Hospitality), स्वास्थ्य देखभाल (Health Care), सम्मेलन भवन (Assembly), व्यवसायिक/व्यापारिक (Business), और अन्य (others)	
8	ऊर्जा खपत के विवरण (किलोवाट ऑवर में) वर्ष (Energy Consumption Details (in kWh); year)	उदाहरण : वित्तीय वर्ष 2018-19	
8.1	अप्रैल		
8.2	मई		
8.3	जून		
8.4	जुलाई		
8.5	अगस्त		
8.6	सितम्बर		
8.7	अक्टूबर		
8.8	नवम्बर		
8.9	दिसम्बर		
8.10	जनवरी		
8.11	फरवरी		
8.12	मार्च		
7	संयोजन प्रकार (Connection Type)		
8	आईवीआरएस/खाता पहचान संख्या (IVRS/Account ID)		
9	वार्षिक औसत यूनिट दर (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में) (Annual Average Unit Rate (in Rs./kWh))		

*उपरोक्त पत्रक ('Mn') संख्या हेतु होगा; अधिमानतः इन नियमों की धारा 14.7 तथा 16.7 हेतु